[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 05/2026-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2026

4 कार्तिक, 1948 शक

सा.का.नि. ... (अ).– केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 1 नवंबर, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 14क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"14ख. धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल की पूर्ति करने वाले प्रदायकर्ताओं के लिए विकल्प– (1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में नियम (9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, किसी ऐसे अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जहां उस व्यक्ति की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थित भांडागार को कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित करके, उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त कर सकेगा, अर्थात् :–

(a) वह व्यक्ति ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल की पूर्ति करने का आशय रखता है, जो अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित है ;

(b) वह व्यक्ति यह अवधारित करता है कि उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई ऐसी पूर्तियों पर केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर तथा एकीकृत कर से मिलकर बनने वाला कुल आउटपुट कर दायित्व प्रतिमास दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ;

(c) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उस भांडागार को कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित करने के लिए सहमति देता है।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का आशय रखता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन करेगा और किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'गृह राज्य' कहा गया है), जहां उस व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति है, अपने स्थायी लेखा संख्यांक पर अभिप्राप्त माल और सेवा कर पहचान संख्यांक घोषित करेगा।

(3) आवेदक, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जहां वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का आशय रखता है, इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के भांडागार का पता और विशिष्टियां कारबार के मुख्य स्थान के रूप में तथा उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसी या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के किसी अन्य भांडागार का पता और विशिष्टियां कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में देगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन, संबंधित इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को, यथास्थिति, कारबार के मुख्य स्थान या कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में भांडागार की घोषणा के लिए उसकी सहमति संसूचित करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(5) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक सात कार्य दिवस के भीतर अपनी सहमति दे सकेगा और जहां उस अवधि के भीतर सहमति नहीं दी जाती है, वहां आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(6) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक से सहमति की प्राप्ति पर, आवेदन, गृह राज्य के अधिकारिता वाले अधिकारी को बायोमीट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अग्रेषित किया जाएगा, यदि वह पहले सफलतापूर्वक नहीं किया गया है।

(7) अधिप्रमाणन और सत्यापन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, अधिकारी गृह राज्य में कारबार के मुख्य स्थान के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही करेगा।

(8) भौतिक सत्यापन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, रजिस्ट्रीकरण इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदान किया जाएगा।

(9) जहां आवेदक बायोमीट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन और दस्तावेजों का सत्यापन पूरा करने में असफल रहता है, वहां आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(10) जहां भौतिक सत्यापन पर यह पाया जाता है कि आवेदक गृह राज्य में कोई कारबार नहीं करता है, वहां :

(क) आवेदन नामंजूर किया गया समझा जाएगा;

(ख) नामंजूरी की सूचना प्ररूप जीएसटी आरईजी-05क में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(11) यदि समुचित अधिकारी, बायोमीट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात् आवेदन निर्देश संख्यांक के सृजन की तारीख से तीस दिन के भीतर भौतिक सत्यापन करने में असफल रहता है, तो आवेदन अनुमोदित किया गया समझा जाएगा

(12) जहां बायोमीट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन और परिसर के भौतिक सत्यापन के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात् गृह राज्य में कारबार के मुख्य स्थान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, वहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक से सहमति की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदान किया जाएगा।

(13) नियम 10 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण, इस नियम के अधीन प्रस्तुत आवेदन को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा।

(14) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में, कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान, यदि कोई हो, के रूप में घोषित इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के भांडागार के, तथा गृह राज्य में, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति है, कारबार के मुख्य स्थान के पते के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

(15) कोई व्यक्ति, जिसने गृह राज्य में नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और जो उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का आशय रखता है, इस नियम के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व, नियम 14क के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण करने के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(16) जहां कारबार के मुख्य स्थान या कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के भांडागार के पते में कोई संशोधन होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में संशोधन के लिए आवेदन करेगा और इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की सहमति से संबंधित उपनियम (4) के उपबंध लागू होंगे तथा ऐसी सहमति की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के, यथास्थिति, कारबार के मुख्य स्थान या कारबार के अतिरिक्त स्थान का पता तदनुसार संशोधित हो जाएगा।

(17) जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को दी गई सहमति प्रत्याहृत कर लेता है, वहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक प्रत्याहरण की सूचना सामान्य पोर्टल पर देगा।

(18) जहां उपनियम (17) के अधीन सहमति प्रत्याहृत कर ली गई है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सहमति के प्रत्याहरण की ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, कारबार के मुख्य स्थान या कारबार के अतिरिक्त स्थान के ब्यौरों में परिवर्तन करने के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की सहमति से संबंधित उपनियम (4) के उपबंध लागू होंगे।

(19) जहां परिवर्तन, कारबार के मुख्य स्थान या कारबार के अतिरिक्त स्थान के पते से भिन्न रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित है, वहां नियम 19 के उपनियम (1) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस सीमा तक संशोधित हो जाएगा जिस सीमा तक उसके लिए आवेदन किया गया है।

(20) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, समुचित अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर, नियम 56 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित लेखा बहियां, अभिलेख या अन्य सूचना या दस्तावेज देगा।

(21) नियम 56 के उपनियम (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसने इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में यथा घोषित अपने कारबार के मुख्य स्थान पर लेखे और अन्य अभिलेख, इस नियम के अधीन अभिप्राप्त प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिए, गृह राज्य में अपने कारबार के मुख्य स्थान पर रखेगा और अनुरक्षित करेगा।

(22) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना की व्यवस्था करने और उसे उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करेगा।

(23) जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उसके कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित किसी भांडागार से उसके माध्यम से माल की पूर्ति करने के लिए दी गई अनुमति प्रत्याहृत कर लेता है और जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अनुमति के प्रत्याहरण की तारीख से तीस दिन के भीतर उपनियम (16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों के संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान के ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से हटा दिए जाएंगे।

(24) (क) इस नियम के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द किया गया समझा जाएगा और इसकी सूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-38 में दी जाएगी, जहां :

(i) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित किसी भांडागार से माल की पूर्ति करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को दी गई अनुमति प्रत्याहृत कर लेता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण, जिसके अंतर्गत धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए सहबद्ध रजिस्ट्रीकरण भी है, रद्द कर दिया गया है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, अनुमति के प्रत्याहरण या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से तीस दिन के भीतर उपनियम (18) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों के संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया है ;

(ii) गृह राज्य में अभिप्राप्त वह रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसे इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए घोषित किया गया था ;

(iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित पते के परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का आवेदन अनुमोदित कर दिया गया है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे परिणामस्वरूप अपने रजिस्ट्रीकरण का संशोधन करना अपेक्षित है, ऐसे अनुमोदन के तीस दिन के भीतर अपेक्षित संशोधन आवेदन फाइल करने में असफल रहा है।

(ख) उपनियम 19 और नियम 22 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 20 के उपनियम (14), उपनियम (15), उपनियम(16), उपनियम(17), उपनियम(18), उपनियम(19) और उपनियम(20) के उपबंध, इस उपनियम को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

(25) कोई व्यक्ति, जिसने इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और जो उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण करने का आशय रखता है, भौतिक उपस्थिति के सबूत के रूप में कारबार के मुख्य स्थान के ब्यौरों के साथ, सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 में फाइल करेगा।

(26) नियम 14क के उपनियम (5), उपनियम (6), उपनियम (7), उपनियम (8), उपनियम (9), उपनियम (10), उपनियम (11), उपनियम (12) और उपनियम (13) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, उपनियम (23) के अधीन किए गए आवेदन को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(27) नियम 18 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति से इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के भांडागार के नाम पटल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और माल और सेवा कर पहचान संख्यांक प्रदर्शित करना अपेक्षित नहीं होगा।

(28) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, जिसने आधार संख्या के अधिप्रमाणन का विकल्प नहीं चुना है, इस नियम के निबंधनानुसार रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने का पात्र नहीं होगा।

(29) नियम 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर अन्य रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का पात्र नहीं होगा ;

3. मूल नियमों में,

(i) नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"नियम 19. रजिस्ट्रीकरण में संशोधन.- (1) जहां प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-09 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप में या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संविरचना करदाता द्वारा दी गई सूचना में या प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 में विशिष्ट पहचान संख्यांक में या प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में नामांकन संख्यांक में, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन या विशिष्ट पहचान संख्यांक अभिप्राप्त करते समय, दी गई किन्हीं विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है, वहां, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या विशिष्ट पहचान संख्यांक रखने वाला व्यक्ति या नामांकन संख्यांक रखने वाला व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन के घटित होने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।-

(2) (क) जहां परिवर्तन प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-09 में या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संविरचना करदाता द्वारा दी गई सूचना में यथा दिए गए कारबार के मुख्य स्थान के ब्यौरों से या प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 में यथा दिए गए भारत में प्रतिनिधि के कारबार के स्थान से या उस अस्तित्व से, जिसकी बाबत प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 में विशिष्ट पहचान संख्यांक चाहा गया है, या प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में यथा दिए गए वृत्तिक पते से संबंधित है, वहां, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या विशिष्ट पहचान संख्यांक रखने वाले व्यक्ति या नामांकन संख्यांक रखने वाले व्यक्ति द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन और साथ के दस्तावेज, परीक्षा के लिए समुचित अधिकारी को अग्रेषित किए जाएंगे।

(ख) जहां परीक्षा करने पर, आवेदन और साथ के दस्तावेज ठीक क्रम में पाए जाते हैं, वहां समुचित अधिकारी, आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, आवेदन का अनुमोदन करेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-15 में इलेक्ट्रानिक रूप से आदेश जारी करेगा तथा ऐसा संशोधन आवेदन के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा।

(ग) जहां उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन में या तो दी जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या जहां समुचित अधिकारी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, वहां वह आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में आवेदक को सूचना जारी कर सकेगा और आवेदक, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में इलेक्ट्रानिक रूप से ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज देगा।

(घ) जहां समुचित अधिकारी का आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान हो जाता है, वहां समुचित अधिकारी, ऐसे स्पष्टीकरण या सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर आवेदन का अनुमोदन करेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-15 में इलेक्ट्रानिक रूप से आदेश जारी करेगा तथा ऐसा संशोधन आवेदन के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा।

(ङ) जहां समुचित अधिकारी का दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान नहीं होता है, वहां समुचित अधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा और आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(च) जहां आवेदक, खंड (ग) के अधीन जारी सूचना का उत्तर विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, वहां उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन नामंजूर किया गया समझा जाएगा और नामंजूरी की सूचना सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-05क में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।-

(छ) जहां समुचित अधिकारी,–

(i) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ; या

(ii) खंड (ग) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर,

कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संशोधित किया गया समझा जाएगा और संशोधित प्रमाणपत्र, जहां कहीं लागू हो, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) जहां परिवर्तन ऐसे व्यक्ति के, जिसने नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और जिसने नियम 14क के उपनियम (5) के अधीन प्रत्याहरण का विकल्प नहीं चुना है, कारबार के मुख्य स्थान के ब्यौरों से संबंधित है, वहां उपनियम (1) के अधीन आवेदन के प्रस्तुत किए जाने और सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित ऑनलाइन विधिमान्यकरण के पूरा होने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस सीमा तक संशोधित हो जाएगा जिस सीमा तक उसके लिए आवेदन किया गया है और संशोधित प्रमाणपत्र, जहां कहीं लागू हो, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) जहां परिवर्तन कारबार के मुख्य स्थान के ब्यौरों से भिन्न किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित है, वहां उपनियम (1) के अधीन आवेदन के प्रस्तुत किए जाने और सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित ऑनलाइन विधिमान्यकरण के पूरा होने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस सीमा तक संशोधित हो जाएगा जिस सीमा तक उसके लिए आवेदन किया गया है और संशोधित प्रमाणपत्र, जहां कहीं लागू हो, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, कारबार के विधिक नाम से संबंधित और कारबार के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी भागीदारों या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य को जोड़ने, हटाने या उनकी सेवानिवृत्ति से संबंधित कोई परिवर्तन, उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के सभी रजिस्ट्रीकरणों को लागू होगा।

(6) इस नियम के अधीन प्रस्तुत, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल नंबर या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन उपबंधित रीति से सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा।

(7) जहां किसी कारबार के गठन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी लेखा संख्यांक में परिवर्तन होता है, वहां वह व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।"।

(ii) नियम 19 में, उपनियम (3) 1 दिसंबर, 2s026 से प्रवृत होगा।

4. मूल नियमों में, 1 नवंबर, 2026 से, नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"नियम 20. करदाता के अनुरोध पर रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहता है, रद्दकरण को आवश्यक बनाने वाली घटना के घटित होने से तीस दिन की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-16 में आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें, यथास्थिति, रद्दकरण के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को या उस तारीख से, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट और स्टाक में धारित पूंजी माल के ब्यौरे, उन पर दायित्व, ऐसे दायित्व के विरुद्ध किए गए संदाय, यदि कोई हो, के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे और वह सामान्य पोर्टल पर आवेदन के साथ उसके समर्थन में सुसंगत दस्तावेज भी दे सकेगा :

परंतु रद्दकरण को आवश्यक बनाने वाली घटना के घटित होने के तीस दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा, एकल स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में लागू नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि,-

(a) ऐसे आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख को, उस तारीख को या उससे पूर्व समाप्त होने वाली, जिससे रद्दकरण चाहा गया है, किसी अवधि की बाबत उस तारीख को या उससे पूर्व दी जाने के लिए अपेक्षित सभी विवरणियां, जिनके अंतर्गत जहां लागू हो, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण भी हैं, दे दी गई हैं ; और

(b) किसी कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 या बीजक प्रस्तुति सुविधा में जावक पूर्ति के ब्यौरे दे दिए गए हैं, उस कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी भी दे दी गई है।

दृष्टांत 1: कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 13.07.2026 को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करने आता है, तो उससे मई, 2026 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल कर दिया जाना अपेक्षित है।

दृष्टांत 2: जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने जून, 2026 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे 11.07.2026 को दे दिए हैं, वहां उससे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व जून, 2026 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करना अपेक्षित होगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथास्थिति, आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक या उस तारीख तक, जिससे रद्दकरण चाहा गया है, शेष अवधि के लिए विवरणी, जिसके अंतर्गत जहां लागू हो, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण भी हैं, ऐसी विवरणियां देने की नियत तारीख के अपश्चात् देगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, उस व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, रद्दकरण की कार्यवाहियों के पूरा होने तक निलंबित रहेगा।

(5) जहां उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल किया गया है और उपनियम (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणियां उनमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर दे दी गई हैं तथा कर, ब्याज, फीस या शास्ति या कोई अन्य रकम, जिसका संदाय किए जाने का दायित्व है, संदत्त कर दी गई है और उन मामलों में, जहां -

(a) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्ति की बाबत, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में, यदि कोई हो, प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथासंशोधित, जावक पूर्तियों के ब्यौरों में या बीजक प्रस्तुति सुविधा का उपयोग करके घोषित केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर के मद्दे आउटपुट कर दायित्व, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से उपनियम (1) के अधीन रद्दकरण के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक किसी भी मास में दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ; या

(b) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, जहां कहीं लागू हो, उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणियां देने की नियत तारीख से 3 दिन के भीतर प्ररूप जीएसटीआर-10 में विवरणी फाइल कर दी है,

वहां रजिस्ट्रीकरण, उस तारीख से, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द कर दिया जाएगा और इसकी संसूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-38 में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(6) जहां उपनियम (3) या उपनियम (5) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विवरणियों या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरणों, जहां लागू हों, में से कोई नहीं दी गई है या कर, ब्याज, फीस या शास्ति या कोई अन्य रकम, जिसका संदाय किए जाने का दायित्व है, संदत्त नहीं की गई है, वहां आवेदन, परीक्षा के लिए समुचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन आवेदन की परीक्षा करने पर, जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन,-

(a) ठीक क्रम में है, वहां समुचित अधिकारी, उपनियम (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण को रद्द करेगा और आदेश जारी करेगा, जिसकी संसूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(b) त्रुटिपूर्ण है, वहां समुचित अधिकारी, उपनियम (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में आवेदक को इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना जारी करके ऐसी कमियों की संसूचना दे सकेगा।

(8) उपनियम (7) के खंड (ख) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, आवेदक, उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणियां, स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज देगा।

(9) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (8) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए उत्तर से समाधान हो जाता है, वहां समुचित अधिकारी, उत्तर की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, आवेदन का अनुमोदन कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आदेश जारी करेगा।

(10) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (8) के अधीन दिए गए उत्तर से समाधान नहीं होता है, वहां समुचित अधिकारी, उत्तर की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा और नामंजूरी की संसूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(11) जहां आवेदक द्वारा उपनियम (8) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर उत्तर नहीं दिया गया है, वहां आवेदन नामंजूर किया गया समझा जाएगा और नामंजूरी की संसूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05क में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(12) जहां समुचित अधिकारी,-

(a) उपनियम (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ; या

(b) उपनियम (8) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए उत्तर की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर,

कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है, वहां रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और इसकी संसूचना प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(13) इस नियम के उपबंध, किसी मृत स्वत्वधारी के विधिक वारिसों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो आवेदन स्वयं स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

(14) जहां, इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के पश्चात्, समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 की उपधारा (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख किसी पूर्वतर तारीख में परिवर्तित किए जाने योग्य है, वहां समुचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी आरईजी-34 में सूचना जारी कर सकेगा, जिसमें यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख किसी पूर्वतर तारीख में क्यों न परिवर्तित कर दी जाए।

(15) वह व्यक्ति, उपनियम (14) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना का उत्तर, उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-35 में देगा।

(16) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (15) के अधीन दिए गए उत्तर से समाधान हो जाता है, वहां समुचित अधिकारी, उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, कार्यवाहियां समाप्त कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-36 में आदेश पारित करेगा।

(17) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (15) के अधीन दिए गए उत्तर से समाधान नहीं होता है, वहां समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख परिवर्तित कर सकेगा और उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-37 में आदेश जारी करेगा।

(18) जहां उपनियम (14) के अधीन जारी सूचना का उत्तर, उपनियम (15) के अनुसार ऐसी सूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर नहीं दिया गया है, वहां समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख परिवर्तित कर सकेगा और उपनियम (14) के अधीन सूचना जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-37 में आदेश जारी करेगा।

(19) जहां समुचित अधिकारी, उपनियम (14) के अधीन सूचना जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आदेश जारी करने में असफल रहता है, वहां रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए कार्यवाहियां समाप्त की गई समझी जाएंगी और इसकी संसूचना सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-36 में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(20) इस नियम के अधीन एक बार परिवर्तित की गई रद्दकरण की प्रभावी तारीख, आगे परिवर्तन के अधीन नहीं होगी।"।

5. मूल नियमों में, 1 नवंबर, 2026 से, नियम 21 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"नियम 21. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.-किसी व्यक्ति को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने का दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होते हुए,-

(क) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करते हुए, किसी वित्तीय वर्ष की विवरणी उक्त विवरणी देने की नियत तारीख से तीन मास से परे तक नहीं देता है ; या

(ख) नियम 23 के उपनियम (1) के तीसरे परंतुक या नियम 23 के उपनियम (1) के चौथे परंतुक के उपबंधों का अतिक्रमण करता है ; या

(ग) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, छह मास की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ; या

(घ) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, दो कर अवधियों की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ; या

(ङ) नियम 10क के उपबंधों का अतिक्रमण करता है"।

6. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, नियम 21क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"21क. करदाता के अनुरोध पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से भिन्न मामलों में रजिस्ट्रीकरण का निलंबन.-

(1) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन रद्द किए जाने का दायी है, वहां समुचित अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कार्यवाहियां आरंभ किए जाने पर, नियम 22 के अधीन रद्दकरण के लिए

कार्यवाहियों के पूरा होने तक, समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित की जाने वाली तारीख से रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा।

(2) किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से निलंबित किया जा सकेगा, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-

(a) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करते हुए, किसी वित्तीय वर्ष की विवरणी उक्त विवरणी देने की नियत तारीख से तीन मास की अवधि से परे तक नहीं देता है ;

(b) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, छह मास की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ;

(c) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, दो कर अवधियों की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ; या

(d) नियम 10क के उपबंध का अतिक्रमण करता है,

उस व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित किया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति से, यथास्थिति, ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त विवरणियां देने या नियम 10क के उपबंधों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (1), (2), (2क) के अधीन निलंबित कर दिया गया है, निलंबन की अवधि के दौरान कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा और उससे धारा 39 के अधीन कोई विवरणी देना अपेक्षित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा" पद से यह अभिप्रेत है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निलंबन की अवधि के दौरान कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा और तदनुसार उस व्यक्ति द्वारा की गई पूर्तियों पर कर प्रभारित नहीं करेगा।

(4) जहां रजिस्ट्रीकरण उपनियम (2) के अधीन निलंबित किया गया है, वहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी लंबित विवरणियां दे दिए जाने पर या नियम 10क के उपबंधों का अनुपालन कर दिए जाने पर, निलंबन प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा कार्यवाहियां पूरी किए जाने पर प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा।

(6) उपनियम (5) के अधीन प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको निलंबन प्रभावी हुआ था।

(7) जहां रजिस्ट्रीकरण के निलंबन का प्रतिसंहरण करने का प्रभाव रखने वाला कोई आदेश पारित किया गया है, वहां निलंबन की अवधि के दौरान की गई पूर्तियों की बाबत धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (क) और धारा 40 के उपबंध और उनमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी।"

7. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, नियम 22 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"22. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.- (1) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन रद्द किए जाने का दायी है, वहां समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-17 में सूचना जारी करेगा,

जिसमें उस व्यक्ति से ऐसी सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि रजिस्ट्रीकरण क्यों न रद्द कर दिया जाए।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपनियम (1) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना का उत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-18 में फाइल करेगा।

(3) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (2) के अधीन दिए गए उत्तर से समाधान हो जाता है, वहां समुचित अधिकारी कार्यवाहियां समाप्त कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 में आदेश पारित करेगा।

(4) जहां समुचित अधिकारी का उपनियम (2) के अधीन उत्तर से समाधान नहीं होता है, वहां समुचित अधिकारी, यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना के उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या उपनियम (2) के अधीन उत्तर देने की नियत तारीख से तीस दिन के भीतर, अवधारित की जाने वाली तारीख से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 में आदेश जारी करेगा और व्यक्ति को अधिसूचित करेगा तथा किसी कर, ब्याज या शास्ति के, जिसके अंतर्गत धारा 29 की उपधारा (9) के अधीन संदत्त किए जाने के लिए दायी रकम भी है, बकाया का संदाय करने का निदेश देगा।

(5) जहां कोई व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण नियम 21क के उपनियम (2) के अधीन निलंबित किया गया है, यथास्थिति, निलंबन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी लंबित विवरणियां नहीं देता है या नियम 10क के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है, वहां ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द किया गया समझा जाएगा और इसकी सूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-38 में दी जाएगी।

(6) जहां इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के पश्चात्, समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख किसी पूर्वतर तारीख में परिवर्तित किए जाने योग्य है, वहां नियम 20 के उपनियम (14), (15), (16), (17), (18), (19) और (20) के उपबंध, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

8. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, नियम 23 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"23क. प्रणाली द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण – (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण नियम 22 के उपनियम (5) के अधीन सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द किया गया समझा गया है, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर, सामान्य पोर्टल पर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परंतु प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया जाएगा, जहां रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणियां देने में असफलता के कारण रद्द किया गया है, जब तक कि ऐसी विवरणियां दे नहीं दी जातीं और ऐसी विवरणियों के निबंधनानुसार कर के रूप में शोध्य कोई रकम, उक्त विवरणियों की बाबत ब्याज, शास्ति और विलंब फीस के लिए संदेय किसी रकम के साथ संदत्त नहीं कर दी जाती :

परंतु यह और कि प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया जाएगा, जहां रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियम 10क के अधीन बैंक खाते के ब्यौरे देने में असफलता के कारण रद्द किया गया है, जब तक कि ऐसे बैंक खाते के ब्यौरे दे नहीं दिए जाते।

(2) यथास्थिति, सभी लंबित विवरणियां दे दिए जाने पर या नियम 10क के उपबंधों का अनुपालन कर दिए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से प्रतिसंहृत कर दिया जाएगा तथा प्ररूप जीएसटी आरईजी-22 में आदेश की संसूचना आवेदक को सामान्य पोर्टल पर दी जाएगी।

(3) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए शोध्य सभी विवरणियां, उक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर दी जाएंगी।"।

9. मूल नियमों के नियम 36 में, -

(i) उपनियम (1) में, "द्वारा, जिसके अंतर्गत इनपुट सेवा वितरक भी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी के आधार पर प्राप्त किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "द्वारा प्राप्त किया जाएगा या इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित किया जाएगा, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी के आधार पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2) में, "प्राप्त किया जाएगा" शब्दों के पश्चात्, "या इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित किया जाएगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. मूल नियमों के नियम 39 में, -

(i) उपनियम (1) के खंड (ङ) में, "एकीकृत कर" शब्दों के पश्चात्, जहां वे दूसरी बार आते हैं, "या केंद्रीय कर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (1क) में, "सामान्य" शब्द का लोप किया जाएगा।

11. मूल नियमों के नियम 44 में, 1 दिसंबर, 2026 से ; -

(i) उपनियम (1) में, "धारा 29" शब्द और अंक के पश्चात् आने वाले "की उपधारा (5)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (4) में, "प्ररूप जीएसटीआर-10" शब्दों, अक्षरों और अंक से पूर्व, "प्ररूप जीएसटी आरईजी-16 या" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. मूल नियमों के नियम 54 के उपनियम (1क) में, -

(i) खंड (क) में, "सामान्य इनपुट सेवाओं का प्रत्यय" शब्दों के स्थान पर, "एक या अधिक भिन्न व्यक्तियों से संबंधित इनपुट सेवाओं के संबंध में प्रत्यय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (iv) में, "उस सामान्य" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) खंड (ख) में, "सामान्य सेवाओं का मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "उन सेवाओं का मूल्य, जिनका प्रत्यय इनपुट सेवा वितरक को अंतरित किया जाना ईप्सित है" शब्द रखे जाएंगे।

13. मूल नियमों के नियम 60 के उपनियम (2) में, "प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग क में" शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "और इनपुट सेवा वितरक को प्ररूप जीएसटीआर-6क में" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. मूल नियमों के नियम 62 के उपनियम (5) में, "अप्रैल" शब्द के स्थान पर, "जून" शब्द रखा जाएगा।

15. मूल नियमों के नियम 63 में, "बीस" शब्द के स्थान पर, "तेरह" शब्द रखा जाएगा।

16. मूल नियमों में, 1 नवंबर, 2026 से, नियम 83ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"83ग. नामांकन में संशोधन.-

(1) जहां प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में दी गई किन्हीं विशिष्टियों में संशोधन अपेक्षित है, वहां माल और सेवा कर व्यवसायी, सामान्य पोर्टल पर, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में संशोधन से संबंधित नियम 19 के उपबंध, प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में दी गई विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"।

17. मूल नियमों के नियम 86 के उपनियम (3) में, "उक्त खाते में" शब्दों के पश्चात्, "नियम 89 के उपनियम (3) में विहित रीति से" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. मूल नियमों के नियम 86क में, 1 अप्रैल, 2027 से, -

(i) उपनियम (1) में, -

(क) "आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत, सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "समुचित अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, धारा 49 के अधीन किसी दायित्व के उन्मोचन के लिए या किसी अनुपयोजित रकम के किसी प्रतिदाय के दावे के लिए, इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में ऐसे प्रत्यय के समतुल्य रकम की नामे को अनुज्ञात न करने का आदेश कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26 में आदेश जारी करके इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में ऐसे प्रत्यय के समतुल्य रकम को नामे डालने की अनुज्ञा नहीं देगा और ऐसा आदेश रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा";

(ii) उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(2) उपनियम (1) के अधीन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26 में जारी आदेश उस तारीख तक प्रवृत्त रहेगा, -

(a) जिसको उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होती है ; या

(b) जिसको समुचित अधिकारी, इस बात से समाधान हो जाने पर कि इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डालने की अनुज्ञा न देने की शर्तें अब विद्यमान नहीं हैं, आदेश द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से रकम को नामे डालने की अनुज्ञा देता है

इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस आशय का आक्षेप प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 में फाइल कर सकेगा कि इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में रकम को नामे डालना अननुज्ञात किए जाने योग्य नहीं था या नहीं है।";

(4) उपनियम (3) के अधीन आक्षेप की प्राप्ति पर, समुचित अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-28 में आदेश जारी करेगा, जिसमें वह या तो, -

(a) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-28 के भाग-क आदेश में इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से उस सीमा तक ऐसी रकम को नामे डालने की अनुज्ञा देगा ; या
(b) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-28 के भाग ख में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उठाए गए आक्षेपों को नामंजूर करेगा।"।

19. मूल नियमों के नियम 89 में, –

(i) उपनियम (1) में, ", या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (1क) में, ", या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपनियम (2) में, 1 दिसंबर, 2026 से, –

(क) "उपनियम (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या उपनियम (1क) या उपनियम (1ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, –

(अ) "पोतलदान बिलों या निर्यात बिलों की संख्या और तारीख" शब्दों में "की संख्या और तारीख" शब्दों के स्थान पर, "के ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "संबंधित निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख" शब्दों में "की संख्या और तारीख" शब्दों के स्थान पर, "के ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (खक) में, "निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख" शब्दों में "की संख्या और तारीख" शब्दों के स्थान पर, "के ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (खख) में, जहां-जहां "की संख्या और तारीख" शब्द आते हैं, उनके स्थान पर, "के ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) खंड (ग) में, "बीजकों की संख्या और तारीख" शब्दों में "की संख्या और तारीख" शब्दों के स्थान पर, "के ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) खंड (घ) में, –

(अ) "बीजकों की संख्या और तारीख" शब्दों में "की संख्या और तारीख" शब्दों के स्थान पर, "के ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "दूसरे" शब्द के स्थान पर, "पहले" शब्द रखा जाएगा ;

(छ) खंड (ङ) में, –

(अ) "बीजकों की संख्या और तारीख" शब्दों में "की संख्या और तारीख" शब्दों के स्थान पर, "के ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "दूसरे" शब्द के स्थान पर, "पहले" शब्द रखा जाएगा ;

(ज) खंड (ज) में, –

(अ) "प्राप्त और जारी बीजकों की संख्या और तारीख" शब्दों के स्थान पर, "प्राप्त बीजकों के ब्यौरे, इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों सहित, और जारी बीजकों के ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "धारा 54 की उपधारा (3)" शब्दों, अंक और कोष्ठकों के पश्चात्, "के पहले परंतुक के खंड (ii)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(इ) "जहां प्रत्यय, शून्य दर वाली या पूर्णतः छूट प्राप्त पूर्तियों से भिन्न, आउटपुट पूर्तियों पर कर की दर की तुलना में इनपुट पर कर की दर के अधिक होने के कारण संचित हुआ है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(झ) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(जक) ऐसे मामले में, जहां दावा धारा 54 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन किसी अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है, किसी कर अवधि के दौरान जारी बीजकों के ब्यौरों का, उस रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा, जिसे आवेदक ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1320(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के अधीन माल की पूर्ति की है, फाइल किए गए सुसंगत पोत परिवहन बिलों या निर्यात बिलों के ब्यौरों सहित, विवरण ;";

(ञ) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(ढ) ऐसे मामले में, जहां दावा धारा 54 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अधीन किसी अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है, प्राप्त बीजकों के ब्यौरों वाला, इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों सहित, विवरण ;

(ण) ऐसे मामले में, जहां प्रतिदाय धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के मद्दे या कर के संदाय सहित की गई शून्य दर पूर्ति के मद्दे

है, इस आशय की घोषणा कि आवेदक को, उस कर अवधि के, जिससे प्रतिदाय का दावा संबंधित है, ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान, अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए, जहां अपवंचित कर की रकम दो सौ पचास लाख रुपए से अधिक है, अभियोजित नहीं किया गया है ;";

(ट) खंड (ण) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2027 से, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(त) ऐसे मामले में, जहां दावा धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन किसी अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है और दावे में पूंजीगत माल पर प्राप्त प्रत्यय सम्मिलित है, इस आशय की घोषणा कि पूंजीगत माल का विक्रय नहीं किया गया है, उसका व्ययन नहीं किया गया है या उसे कारबार से स्थायी रूप से हटाया नहीं गया है, और उपनियम (4) या उपनियम (5) के अधीन दावे में सम्मिलित पूंजीगत माल इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है और संबंधित शून्य दर पूर्तियां या प्रत्यावर्तित दर पूर्तियां करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ;"।

(iv) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(3) जहां आवेदन इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है, वहां आवेदक द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में, इस प्रकार दावा किए गए प्रतिदाय के बराबर रकम, निम्नलिखित क्रम में नामे डाली जाएगी, अर्थात् –

(क) एकीकृत कर, उपलब्ध अतिशेष की सीमा तक ;

(ख) केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, उपलब्ध अतिशेष की सीमा तक समान रूप से ;

(ग) ऊपर खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी विशिष्ट इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध अतिशेष में कमी होने की दशा में, अंतर की रकम उसमें निर्दिष्ट अन्य इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डाली जाएगी।

दृष्टांत 1: – केंद्रीय कर के इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध अतिशेष में कमी होने की दशा में, अंतर की रकम राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डाली जाएगी ;

दृष्टांत 2: – राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध अतिशेष में कमी होने की दशा में, अंतर की रकम केंद्रीय कर के इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डाली जाएगी।";

(v) उपनियम (4) में, -

(क) खंड (आ) में, 1 अप्रैल, 2027 से, "प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय" शब्दों के पश्चात्, "और सुसंगत अवधि को आरोप्य पूंजीगत माल पर इनपुट कर प्रत्यय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (इ) में, 1 नवंबर, 2026 से, "या उसी या समान रूप से स्थित प्रदायकर्ता द्वारा घरेलू रूप से पूर्ति किए गए वैसे ही माल के, प्रदायकर्ता द्वारा यथा घोषित, मूल्य का 1.5 गुना मूल्य, इनमें से जो भी कम हो" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

(ग) खंड (ऊ) में, 1 अप्रैल, 2027 से, "फाइल किया गया है।" शब्दों और विराम चिह्न के स्थान पर, "फाइल किया गया है ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (ऊ) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, 1 अप्रैल, 2027 से, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"(ऋ) "सुसंगत अवधि को आरोप्य पूंजीगत माल" से ऐसा पूंजीगत माल अभिप्रेत है, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय ऐसे किसी मास में प्राप्त किया गया है, जो सुसंगत अवधि के अंतिम मास से उनसठ मास से पूर्वतर का न हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उक्त पूंजीगत माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है, और ऐसे पूंजीगत माल पर इनपुट कर प्रत्यय की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी -

ऐसे पूंजीगत माल पर इनपुट कर प्रत्यय = {(1/60 * पूंजीगत माल पर प्राप्त पात्र आईटीसी * मासों की संख्या) का समुच्चय} - {सुसंगत अवधि के मासों को आरोप्य ऐसे पूंजीगत माल के संबंध में अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार लागू इनपुट कर प्रत्यय उत्क्रमणों का समुच्चय}।"

(ङ) खंड (ऋ) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2027 से, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"स्पष्टीकरण. – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, मासों की संख्या, ऐसे पूंजीगत माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय जिस मास में प्राप्त किया गया था उस मास से प्रारंभ होने वाली साठ मास की अवधि में से, सुसंगत अवधि के भीतर समाविष्ट अवधि के रूप में ली जाएगी।";

(vi) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(5) प्रत्यावर्तित शुल्क संरचना के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रदान किया जाएगा : –

अधिकतम प्रतिदाय रकम = {(माल और सेवाओं की प्रत्यावर्तित दर पूर्ति का आवर्त) × शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल आवर्त} - माल और सेवाओं की ऐसी प्रत्यावर्तित दर पूर्ति पर संदेय कर।

स्पष्टीकरण. – (i) "शुद्ध आईटीसी" से सुसंगत अवधि के दौरान इनपुट और पात्र इनपुट सेवाओं पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय और सुसंगत अवधि को आरोप्य पूंजीगत माल पर इनपुट कर प्रत्यय का योग;

(ii) "पात्र इनपुट सेवाओं" से ऐसी इनपुट सेवाएं अभिप्रेत होंगी, जिन पर इनपुट कर प्रत्यय 1 नवंबर, 2026 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है ;

(iii) "समायोजित कुल आवर्त", "सुसंगत अवधि को आरोप्य पूंजीगत माल" और "सुसंगत अवधि" पदों का वही अर्थ होगा, जो उपनियम (4) में उनका है।"।

20. मूल नियमों के नियम 90 में, –

(i) उपनियम (2) में, "पंद्रह" शब्द के स्थान पर, "दस" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपनियम (3) में, "वहां समुचित अधिकारी," शब्दों के पश्चात्, "उक्त आवेदन के फाइल किए जाने के दस दिन की अवधि के भीतर," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(3क) जहां समुचित अधिकारी द्वारा, प्रतिदाय आवेदन के फाइल किए जाने के दस दिन की अवधि के भीतर, आवेदक को न तो प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में अभिस्वीकृति उपलब्ध कराई गई है और न ही प्ररूप जीएसटी आरएफडी-03 में कमियों की संसूचना दी गई है, वहां ऐसा आवेदन अभिस्वीकृत किया गया समझा जाएगा और उक्त अभिस्वीकृति आवेदक को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्रतिदाय के दावे के फाइल किए जाने की तारीख उपदर्शित होगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना फाइल किए जाने की ऐसी तारीख से की जाएगी।"।

21. मूल नियमों के नियम 91 में, –

(i) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(2) सामान्य पोर्टल, प्रणाली द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर, नियम 90 के उपनियम (1क) या (2) या (3क) के अधीन अभिस्वीकृति की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में आदेश सृजित करेगा :

परंतु प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में जारी आदेश का समुचित अधिकारी द्वारा पुनःविधिमान्यकरण अपेक्षित नहीं होगा।";

(ii) उपनियम (3) में, "समुचित अधिकारी, उपनियम (2) के अधीन मंजूर की गई रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय आदेश जारी करेगा और" शब्दों, अक्षरों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "उपनियम (2) के अधीन मंजूर की गई रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय आदेश, सामान्य पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा और" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

22. मूल नियमों के नियम 92 में, –

(i) उपनियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(1ख) जहां धारा 49 की उपधारा (6) के अधीन, धारा 54 के अधीन प्रतिदाय आवेदक को शोध्य और संदेय है, वहां सामान्य पोर्टल द्वारा प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश सृजित किया जाएगा, जिसमें उस प्रतिदाय की रकम मंजूर की जाएगी, जिसका आवेदक हकदार है, और उसमें अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित रकम और प्रतिदेय अतिशेष रकम का उल्लेख किया जाएगा।";

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, –

"यथास्थिति, जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है या, जहां सामान्य पोर्टल द्वारा यह अवधारित किया जाता है कि उपनियम (1) या (1क) या (1ख) या (2) के अधीन प्रतिदेय रकम धारा 54 की उपधारा (8) के अधीन आवेदक को संदेय है, वहां प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश किया जाएगा और प्रतिदाय की रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय आदेश जारी किया जाएगा और उसे समेकित संदाय सलाह के आधार पर आवेदक के, उसकी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में उल्लिखित और प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट, बैंक खातों में से किसी में इलेक्ट्रानिक रूप से जमा किया जाएगा :";

23. मूल नियमों के नियम 138 में, -

(i) उपनियम (2क) में, "रेलवे द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "या मेट्रो रेल द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2क) के परंतुक में, "रेलवे द्वारा किया जाता है, वहां रेलवे" शब्दों के स्थान पर, "रेलवे या मेट्रो रेल द्वारा किया जाता है, वहां रेलवे या मेट्रो रेल" शब्द रखे जाएंगे।

24. मूल नियमों के नियम 159 में, -

(i) उपनियम (1) में, "प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, "के भाग क" शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (5) में, "आक्षेप फाइल करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्," शब्दों के पश्चात्, "यदि आवेदक के निवेदन से उसका समाधान नहीं होता है तो प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 के भाग ख में उक्त आवेदन को नामंजूर कर सकेगा या" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

25. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में, 1 नवंबर, 2026 से, सारणी 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < ड्राप डाउन में से चयन करें>.	
A. *(i) ऐसे माल के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं,*	
(ii) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले प्रदायकर्ता	
(iii) धारा 10(1) के अंतर्गत आने वाला, संरचना उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	
B. ***धारा 10(2क) के अधीन संरचना के लिए पात्र व्यक्ति***	".

26. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 में, 1 नवंबर, 2026 से, सारणी 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग	

A. *(i) ऐसे माल के, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं,*	
(ii) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले प्रदायकर्ता	
(iii) धारा 10(1) के अंतर्गत आने वाला, संरचना उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	
B. *धारा 10(2क) के अधीन संरचना के लिए पात्र व्यक्ति*	”.

27. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में, 1 नवंबर, 2026 से, -

(i) सारणी संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(सभी सरणीयों में रकम ₹ में)

क्रम सं.	**विवरण**	**मूल्य**	**एकीकृत कर**	**केंद्रीय कर**	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर**	**उपकर**
1	माल की जावक पूर्तियां (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित)					
(क)	सेवाओं की जावक पूर्तियां (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित) किंतु (किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई सेवाओं की उन पूर्तियों के सिवाय, जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है)					
(ख)	किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई सेवाओं की जावक पूर्तियां, जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है।					
2	प्रतिलोम प्रभार आकर्षित करने वाली आवक पूर्तियां, जिनके अंतर्गत सेवाओं का आयात भी है					
3	संदेय कर (1+1(क)+2)					
4	संदेय ब्याज, यदि कोई हो					
5	संदत्त कर और ब्याज					”;

(ii) ‘अनुदेश’ शीर्ष के अधीन, क्रम संख्यांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"3क करदाता, माल की पूर्ति के लिए जावक पूर्तियों (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित) की रिपोर्ट अभिहित स्तंभ (1) में करेगा।

3ख सेवाओं की जावक पूर्ति, जिसके अंतर्गत सेवाओं की छूट प्राप्त पूर्ति भी है, किंतु जिसमें किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई सेवाओं की वे पूर्तियां सम्मिलित नहीं हैं जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, की रिपोर्ट सारणी 1(क) में पृथक् रूप से की जाएगी।

3ग सेवाओं की जावक पूर्तियों की, जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, रिपोर्ट सारणी 1(ख) में पृथक् रूप से की जाएगी। संरचना करदाताओं से ऐसी पूर्तियों पर कर दायित्व का उन्मोचन करना अपेक्षित नहीं है ; तथापि, अनुपालन और रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए इन पूर्तियों को उनके वार्षिक सकल आवर्त की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।"।

28. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 [नियम 8(1), 9क, 14क और 14ख देखें]

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न)

भाग -क

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

(i)	कारबार का विधिक नाम : *(स्थायी खाता संख्यांक में यथा उल्लिखित)*		
(ii)	स्थायी खाता संख्यांक : *(कारबार का स्थायी खाता संख्यांक प्रविष्ट करें ; स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में व्यष्टि का स्थायी खाता संख्यांक प्रविष्ट करें)*		
(iii)	ई-मेल पता :		
(iv)	मोबाइल संख्या :		
टिप्पण - भाग-ख को भरने की कार्रवाई करने से पूर्व ऊपर दी गई सूचना ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।			

[ई-मेल आईडी और मोबाइल संख्या, आवेदक के स्थायी खाता संख्यांक से सहबद्ध आय-कर डाटाबेस से स्वतः भरी जाएगी]।					
भाग -ख					
1.	व्यापार नाम, यदि कोई हो				
2.	कारबार का गठन (कृपया समुचित प्रवर्ग का चयन करें और उसके सामने यथा उल्लिखित दस्तावेज अपलोड करें।)				
(i) स्वत्वधारिता		(ii) भागीदारी (भागीदारी विलेख या गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)			
(iii) हिंदू अविभक्त कुटुंब		(iv) निजी लिमिटेड कंपनी (निगमन प्रमाणपत्र)			
(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी (निगमन प्रमाणपत्र)		(vi) सोसाइटी/क्लब/न्यास/व्यक्ति संगम (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)			
(vii) सरकारी विभाग (गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)		(viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम (निगमन प्रमाणपत्र या गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)			

(ix) असीमित कंपनी (निगमन प्रमाणपत्र)			(x) सीमित दायित्व भागीदारी (निगमन प्रमाणपत्र)			
(xi) स्थानीय प्राधिकारी (गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)			(xii) कानूनी निकाय (गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)			
(xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी (स्थापन प्रमाणपत्र)			(xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत) (स्थापन प्रमाणपत्र)			
(xivक) एक व्यक्ति कंपनी (निगमन प्रमाणपत्र)			(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) (गठन का पुष्टिकारक कोई सबूत)			
3.	राज्य का नाम	⏏		जिला	⏏	

4.	अधिकारिता	राज्य	केंद्र	
		सेक्टर, सर्कल, वार्ड, यूनिट, आदि अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
4.1	नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विकल्प	हां	नहीं	
4.1.1	नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा - मैं, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार, नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण			

	का विकल्प चुनने के लिए अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन करेगा।			
4.2	नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विकल्प	हां	नहीं	
4.2.1	नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा मैं, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त			

	कारबार, नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने के लिए अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन करेगा।			
4.2.2	अन्य राज्य में, जहां आपकी भौतिक उपस्थिति है, जीएसटीआईएन प्रविष्ट करें			
5.	संरचना के लिए विकल्प	हां नहीं		
6. संरचना घोषणा मैं, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार, संरचना स्कीम के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प चुनने के लिए अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन करेगा।				
6.1 रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < चेक बॉक्स में टिक करें >				

A. (i) ऐसे माल के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता, जिसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं है और जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए,					
(ii) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले प्रदायकर्ता					
(iii) धारा 10(1) के अंतर्गत आने वाला, संरचना उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता					
B. धारा 10(2क) के अधीन संविरचना उद्ग्रहण के लिए पात्र व्यक्ति					
7.	कारबार के प्रारंभ की तारीख	दिन/मास/वर्ष			
8.	वह तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण का दायित्व उद्भूत होता है	दिन/मास/वर्ष			
9.	क्या आप आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं?	हां	नहीं		
10.	यदि क्रम सं. 9 में 'हां' का चयन किया गया है, तो वह अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है	से दिन/मास/वर्ष	तक दिन/मास/वर्ष		
11.	यदि क्रम सं. 9 में 'हां' का चयन किया गया है, तो रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान प्राक्कलित पूर्तियां और प्राक्कलित शुद्ध कर दायित्व				
क्रम सं.	कर का प्रकार	आवर्त (रु.)	शुद्ध कर दायित्व (रु.)		
(i)	एकीकृत कर				

(ii)	केंद्रीय कर						
(iii)	राज्य कर						
(iv)	संघ राज्यक्षेत्र कर						
(v)	उपकर						
	योग						
	संदाय के ब्यौरे						
	चालान पहचान संख्यांक		तारीख		रकम		
12.	क्या आप विशेष आर्थिक जोन इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं?		हां		नहीं		
	(i) विशेष आर्थिक जोन के नाम का चयन करें						
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख						
	विधिमान्यता की अवधि		से		तक		
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम						

	(iv) विशेष आर्थिक जोन अस्तित्व आईडी			
13.	क्या आप विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं?	हां	नहीं	
	(i) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता के नाम का चयन करें			
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख			
	विधिमान्यता की अवधि	से	तक	
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम			
	(iv) विशेष आर्थिक जोन अस्तित्व आईडी			
14.	क्या आप धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं?	हां	नहीं	
	(क) क्या उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में, जहां रजिस्ट्रीकरण चाहा जा रहा है, आपकी भौतिक उपस्थिति है?	हां	नहीं	

	(ख) यदि हां, तो कृपया क्रम सं. 17 में कारबार के मुख्य स्थान के ब्यौरे भरें।		
	(ग) यदि नहीं, तो कृपया धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए प्रतिनिधि के ब्यौरों का उल्लेख करें :		

व्यक्ति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
मोबाइल संख्या			
ई-मेल पता			
स्थायी खाता संख्यांक			
एसटीडी सहित टेलीफोन सं.		एसटीडी सहित फैक्स सं.	
पता	कृपया क्रम सं. 17 (कारबार का मुख्य स्थान टैब) में पते के ब्यौरे भरें।		

15. **रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का कारण :**

(i) प्रारंभिक सीमा को पार करना	(viii) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का विलयन/समामेलन
(ii) अंतरराज्यिक पूर्ति	(ix) इनपुट सेवा वितरक
(iii) धारा 9(3) या धारा 9(4) के अधीन माल या सेवाओं के	(x) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक - धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति

	प्राप्तिकर्ता के रूप में कर का संदाय करने का दायित्व	
	(iv) कारबार का अंतरण, जिसके अंतर्गत कारबार के स्वामित्व में परिवर्तन भी है (यदि अंतरिती कोई रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xi) ई-वाणिज्य पोर्टल के माध्यम से पूर्ति करने वाला कराधेय व्यक्ति
	(v) स्वत्वधारी की मृत्यु (यदि उत्तराधिकारी कोई रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xii) स्वैच्छिक आधार
	(vi) अविलयन	(xiii) अन्य कराधेय व्यक्ति या व्यक्तियों के निमित माल और/या सेवाओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति
	(vii) कारबार के गठन में परिवर्तन	(xiv) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन नियुक्त दिवाला समाधान वृत्तिक/समाधान वृत्तिक
	(xv) अन्य (जो ऊपर सम्मिलित नहीं हैं) - विनिर्दिष्ट करें	
16.	**जहां कहीं लागू हो, विद्यमान रजिस्ट्रीकरणों को उपदर्शित करें**	

मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
जीएसटीआईएन	
वृत्तिक कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	

कारपोरेट पहचान संख्यांक/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक	
आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड संख्यांक	
वृत्तिक कर नामांकन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
दुकान और स्थापन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
अस्थायी आईडी, यदि कोई हो	
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

17.	(क) कारबार के मुख्य स्थान का पता

इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का जीएसटीआईएन (नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की दशा में)	
इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का विधिक नाम (नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की दशा में)	

भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.

परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली	

शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला		
तालुक/ब्लॉक				
राज्य		पिन कोड		
अक्षांश		देशांतर		
(ख) संपर्क सूचना				
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय टेलीफोन संख्या	एसटीडी	
मोबाइल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी	

(ग) परिसर के कब्जे की प्रकृति (कृपया समुचित प्रवर्ग का चयन करें और जहां कहीं अपेक्षित हो, अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करें)

7. स्वामित्वाधीन
8. मृत पूर्वज के नाम में
9. पट्टे पर या किराए पर
10. सहमति आधारित, जहां परिसर न तो आवेदक के स्वामित्व में है और न ही उसके द्वारा किराए पर या पट्टे पर लिया गया है
11. सह-कार्य स्थान
12. विशेष आर्थिक जोन
13. नियम 14ख के अधीन इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का भांडागार

स्वामित्वाधीन	यदि परिसर आवेदक के नाम में है, तो कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक अपलोड करें : 7. नवीनतम संपत्ति कर रसीद या 7. नगरपालिका खाता की प्रति या 7. संपत्ति पहचान की प्रति या 7. नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या 7. नवीनतम जल बिल की प्रति	
जहां परिसर मृत पूर्वज के नाम में है (केवल स्वत्वधारी के विधिक नाम वाले अस्तित्व और हिंदू अविभक्त कुटुंब को लागू)	कृपया निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें : i. अपेक्षित रूपविधान के अनुसार शपथपत्र और ii. मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति और	

	iii. मृत पूर्वज के नाम में निम्नलिखित में से कोई एक : नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति	

	या नवीनतम जल बिल की प्रति		
किराए पर/पट्टे पर	**जहां किराया/पट्टा करार रजिस्ट्रीकृत है**	कृपया रजिस्ट्रीकृत किराया या पट्टा करार अपलोड करें	

	जहां किराया/पट्टा करार रजिस्ट्रीकृत नहीं है	कृपया निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें : i. किराया/पट्टा करार, न्यूनतम मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर सम्यक् रूप से नोटरीकृत करार होगा **और** **ii. पट्टाकर्ता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :** नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या	

		संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति	
	जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है	कृपया निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें : i. इस संबंध में निष्पादित वचनबंध ii. आवेदक के नाम में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक : नवीनतम विद्युत बिल की प्रति	

		या नवीनतम जल बिल की प्रति	
सहमति आधारित	**जहां परिसर न तो आवेदक के स्वामित्व में है और न ही उसके द्वारा किराए पर या पट्टे पर लिया गया है**	कृपया ब्यौरे दें और निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें : i. परिसर के स्वामी द्वारा सहमति पत्र ii. **सहमतिकर्ता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :** नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या	

		संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति	
विशेष आर्थिक जोन	यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है	विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त द्वारा जारी अनुमोदन पत्र / अनुज्ञा पत्र	

सह-कार्य स्थान **(जहां आवेदक किसी सह-कार्य परिसर में, सह-कार्य स्थान प्रदाता द्वारा उस परिसर में स्पष्ट रूप से अभिहित स्थान आबंटित किए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण कराना चाहता है)**	**यदि परिसर सह-कार्य स्थान प्रदाता के स्वामित्व में है** क्या सह-कार्य स्थान प्रदाता माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है?	हां	(✓) यदि हां, तो कृपया जीएसटीआईएन दें और जांच करें कि क्या सह-कार्य स्थान प्रदाता से सदस्यता करार अभिप्राप्त किया गया है	सह-कार्य स्थान प्रदाता का जीएसटीआईएन कृपया अपलोड करें i. आवेदक और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे स्पष्ट रूप से अभिहित भौतिक स्थान के ब्यौरे हों। और ii. **सह-कार्य स्थान प्रदाता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :** नवीनतम संपत्ति कर रसीद	

		नहीं		या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति नवीनतम जल बिल की प्रति	

				कृपया अपलोड करें i. i. आवेदक और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे स्पष्ट रूप से अभिहित भौतिक स्थान के ब्यौरे हों। **और** ii. **सह-कार्य स्थान प्रदाता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :** नवीनतम संपत्ति कर रसीद या	

				नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति	

	यदि परिसर सह-कार्य सेवा प्रदाता द्वारा किराए पर या पट्टे पर लिया गया है क्या सह-कार्य स्थान प्रदाता माल और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है?	हां	(✓) यदि हां, तो कृपया जीएसटीआईएन दें और जांच करें कि क्या सह-कार्य स्थान प्रदाता से सदस्यता करार अभिप्राप्त किया गया है	जीएसटीआईएन कृपया अपलोड करें i. सह-कार्य स्थान प्रदाता और भू-स्वामी के बीच किया गया रजिस्ट्रीकृत किराया या पट्टा करार। ii. आवेदक और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे स्पष्ट रूप से अभिहित भौतिक स्थान के ब्यौरे हों।	

	नहीं		कृपया अपलोड करें : i. स्वामी और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच रजिस्ट्रीकृत किराया/पट्टा करार। ii. सह-कार्य स्थान प्रचालक/प्रदाता और आवेदक के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे भौतिक स्थान के ब्यौरे हों।	

(घ) ऊपर वर्णित परिसर में किए जा रहे कारबार के क्रियाकलाप की प्रकृति (कृपया जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)

फैक्टरी / विनिर्माण क्या फैक्टरी, फैक्टरी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है?	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक-	थोक कारबार		खुदरा कारबार	

भांडागार/डिपो		बंधित भांडागार		सेवाओं का प्रदायकर्ता	
कार्यालय/विक्रय कार्यालय		-		-	
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी		संकर्म संविदा		स्थावर संपत्ति को किराए/पट्टे पर देना	
क्या आप प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) हैं एईओ प्रमाणपत्र संख्यांक यदि हां, तो कृपया उस प्रवर्ग पर निशान लगाएं जिसमें आप आते हैं टियर-III या स्टार रेटिंग? टियर-II टियर-I		सह-कार्य स्थान		स्वास्थ्य और फिटनेस क्लब	
मोटर यानों, जलयानों या वायुयानों को पट्टे पर, किराए पर या भाड़े पर देना		*इनपुट सेवा वितरक के रूप में सेवाओं का प्राप्तिकर्ता*		निर्यात	

आयात						नियम 14ख के अधीन अनन्य रूप से इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल की पूर्ति			अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						

18. बैंक खाते (खातों) के ब्यौरे

कारबार के संचालन के लिए आवेदक द्वारा अनुरक्षित बैंक खातों की कुल संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है, तो प्ररूप जीएसटी आरईजी-06 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी) *(10 बैंक खातों तक की रिपोर्ट की जाए)*

बैंक खाता 1 के ब्यौरे

खाता संख्यांक		
खाते का प्रकार		आईएफएससी
बैंक का नाम		
शाखा का पता	स्वतः भरा जाएगा (संपादन मोड)	

टिप्पण - और खाते जोड़ें ------

19. कारबार द्वारा पूर्ति किए गए माल के ब्यौरे

कृपया माल विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं.	माल का विवरण	एचएसएन कोड (दो अंक)/ एचएसएन कोड (चार अंक)/ एचएसएन कोड (छह अंक)/ एचएसएन कोड (आठ अंक)
(i)		
(ii)		
..XX...	...	

20. कारबार द्वारा पूर्ति की गई सेवाओं के ब्यौरे।

(क) कृपया सेवाएं विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं.	सेवाओं का विवरण	एसएसी कोड (चार अंक)/ एसएसी कोड (छह अंक)
(i)		
(ii)		
...xx..		
.....		

21. कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) के ब्यौरे (ब्यौरे उसी प्रकार दिए जाएंगे जैसे सारणी संख्यांक 17 में)

अतिरिक्त स्थानों की संख्या	

22. स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगमों की प्रबंध समिति के सदस्यों/न्यासी बोर्ड, आदि के ब्यौरे

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल संख्या		ई-मेल पता	
एसटीडी सहित टेलीफोन सं.			
पदनाम /प्रास्थिति सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, अभिहित भागीदारों का डीआईएन उपलब्ध कराया जाए।		निदेशक पहचान संख्यांक (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्यांक		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां / नहीं	पासपोर्ट सं. (विदेशियों की दशा में)	

निवास का पता					
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.			
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली			
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला			
ब्लॉक/तालुक					
राज्य		पिन कोड			
देश (केवल विदेशी की दशा में)		ज़िप कोड			

23. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए चेक बॉक्स

हस्ताक्षरकर्ता सं. 1 के ब्यौरे

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
भारत में निवास का पता			
भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.		

24. प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे

परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली			
पिता का नाम				
जन्म की तारीख		दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य>
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव	जिला			
मोबाइल संख्या			ई-मेल पता	
राज्य	पिन कोड			
एसटीडी सहित टेलीफोन सं. एसटीडी				
पदनाम /प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्यांक (यदि कोई हो)		
स्थायी लेखा संख्यांक		आधार संख्या		
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां / नहीं	पासपोर्ट सं. (विदेशियों की दशा में)		

नामांकन आईडी, यदि उपलब्ध हो	
यदि नामांकन आईडी उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें	
स्थायी लेखा संख्यांक	
आधार, यदि स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है	

	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
व्यक्ति का नाम			
पदनाम / प्रास्थिति (ड्राप डाउन)			
मोबाइल संख्या			
ई-मेल पता			
एसटीडी सहित टेलीफोन सं.		एसटीडी सहित फैक्स सं.	

25. राज्य विनिर्दिष्ट सूचना

. राज्य उत्पाद-शुल्क अनुज्ञप्ति सं. और उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम में उत्पाद-शुल्क अनुज्ञप्ति धारित है

(क) क्षेत्र 1

(ख) क्षेत्र 2

(ग)

(घ)

(ङ) क्षेत्र एन

26. अपलोड दस्तावेज

प्ररूप में क्षेत्र मूल्यों के अनुसार अपलोड किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की अनुकूलित सूची (नियम 8 देखें)।

27. सहमति

मैं, नीचे उल्लिखित की जाने वाली आधार संख्या का धारक, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को मेरी आधार संख्या अभिप्राप्त करने, यूआईडीएआई के साथ आधार अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी करने के लिए अपनी सहमति देता हूं। जीएसटीएन ने मुझे सूचित किया है कि मेरी पहचान संबंधी सूचना का उपयोग केवल केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/नियम, 2017 और सुसंगत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम/नियम, 2017 द्वारा यथा अपेक्षित वेबसाइट, सेवाएं उपलब्ध कराने और उनमें सुधार करने के लिए किया जाएगा ; और यह भी सूचित किया है कि इन ब्यौरों को डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में यथा परिभाषित डाटा प्रसंस्करणकर्ता, सरकारी अभिकरणों और कर प्राधिकारियों के सिवाय, लागू विधियों द्वारा यथा अपेक्षित कर प्रशासन के प्रयोजन के लिए, किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया जाएगा और उन्हें जीएसटीएन आधार डाटा वॉल्ट में सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाएगा। मैं यह समझता हूं कि जीएसटीएन, अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सत्यापन के प्रयोजन के लिए मेरा अधिप्रमाणन डाटा केंद्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार (सीआईडीआर) के साथ साझा करेगा। यूआईडीएआई के साथ अधिप्रमाणन होने पर, जीएसटीएन यूआईडीएआई से मेरा वैयक्तिक डाटा, जैसे नाम, लिंग, द्वारा, जन्म की तारीख, मोबाइल संख्या, आधार संख्या, फोटो, पता और ई-मेल आईडी, आदि प्राप्त करेगा और उसे जीएसटीएन आधार डाटा वॉल्ट में भंडारित किया जाएगा। मैंने उपर्युक्त निबंधनों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और उनसे सहमत हूं, और मैं अपनी स्पष्ट सहमति देता हूं।

28. सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

पदनाम/प्रास्थिति.....

स्थान :

तारीख :

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची : -

1.	फोटो (जहां कहीं आवेदन प्ररूप में विनिर्दिष्ट हो) क. स्वत्वधारी समुत्थान - स्वत्वधारी ख. भागीदारी फर्म / सीमित दायित्व भागीदारी - प्रबंध/ प्राधिकृत/ अभिहित भागीदार (सभी भागीदारों के वैयक्तिक ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं किंतु प्रबंध भागीदार सहित केवल दस भागीदारों के फोटो प्रस्तुत किए जाने हैं) ग. हिंदू अविभक्त कुटुंब - कर्ता घ. कंपनी - प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति ङ. न्यास - प्रबंध न्यासी च. व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय - प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के वैयक्तिक ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं किंतु अध्यक्ष सहित केवल दस सदस्यों के फोटो प्रस्तुत किए जाने हैं) छ. स्थानीय प्राधिकारी - मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य ज. कानूनी निकाय - मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य झ. अन्य - भारसाधक व्यक्ति
2.	कारबार का गठन : भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, सोसाइटी, न्यास, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य, आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/गठन का सबूत।

3. कारबार के मुख्य स्थान का सबूत :

क. स्वयं के परिसर के लिए -

यदि परिसर आवेदक के नाम में है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति।

ख. जहां परिसर मृत पूर्वज के नाम में है (केवल स्वत्वधारी के विधिक नाम वाले अस्तित्व और हिंदू अविभक्त कुटुंब को लागू)-

निम्नलिखित दस्तावेज :

i. इस संबंध में प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 से संलग्न अपेक्षित प्ररूपमान के अनुसार शपथपत्र।

और

ii. मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति

और

iii. मृत पूर्वज के नाम में निम्नलिखित में से कोई एक :

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति।

ग. किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए -

i. **जहां किराया/पट्टा करार रजिस्ट्रीकृत है-**

रजिस्ट्रीकृत किराया या पट्टा करार

ii. **जहां किराया/पट्टा करार रजिस्ट्रीकृत नहीं है-**

निम्नलिखित दस्तावेज :

किराया/पट्टा करार, न्यूनतम मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर सम्यक् रूप से नोटरीकृत करार होना चाहिए और

पट्टाकर्ता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति।

iii. **जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है -**

निम्नलिखित दस्तावेज :

1. इस संबंध में निष्पादित वचनबंध
2. आवेदक के नाम में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :

नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति

(घ) सहमति आधारित-

जहां परिसर न तो आवेदक के स्वामित्व में है और न ही उसके द्वारा किराए पर या पट्टे पर लिया गया है

निम्नलिखित दस्तावेज :

i. परिसर के स्वामी द्वारा सहमति पत्र

ii. **सहमतिकर्ता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :**

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति।

(ङ) विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड)

यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है

निम्नलिखित दस्तावेज :

विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त द्वारा जारी अनुमोदन पत्र / अनुज्ञा पत्र

(च) सह-कार्य स्थान (जहां आवेदक किसी सह-कार्य परिसर में, सह-कार्य स्थान प्रदाता द्वारा उस परिसर में स्पष्ट रूप से अभिहित स्थान आबंटित किए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण लेना चाहता है)

जहां परिसर सह-कार्य स्थान प्रदाता के स्वामित्व में है :

निम्नलिखित दस्तावेज :

i. आवेदक और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे स्पष्ट रूप से अभिहित भौतिक स्थान के ब्यौरे हों ;

और

ii. **सह-कार्य स्थान प्रदाता के निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक :**

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति पहचान की प्रति या नवीनतम विद्युत बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति।

और सह-कार्य स्थान प्रदाता का जीएसटीआईएन, यदि लागू हो।

	जहां परिसर सह-कार्य सेवा प्रदाता द्वारा किराए पर या पट्टे पर लिया गया है : **निम्नलिखित दस्तावेज :** i. सह-कार्य स्थान प्रदाता और भू-स्वामी के बीच किया गया रजिस्ट्रीकृत किराया या पट्टा करार ; ii. आवेदक और सह-कार्य स्थान प्रदाता के बीच सदस्यता करार, जिसमें कारबार के संचालन के लिए आवेदक को समनुदेशित विनिर्दिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क संख्यांक जैसे स्पष्ट रूप से अभिहित भौतिक स्थान के ब्यौरे हों। **और सह-कार्य स्थान प्रदाता का जीएसटीआईएन, यदि लागू हो।**
4	बैंक खाते से संबंधित सबूत, जहां ऐसे खाते के ब्यौरे दिए गए हैं : बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति या ऐसे रद्द किए गए चैक की स्कैन की गई प्रति, जिसमें स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता सं., एमआईसीआर, आईएफएससी और कोड सहित शाखा के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों।

5	प्राधिकार प्ररूप : - आवेदन प्ररूप में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्राधिकार या प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रति निम्नलिखित प्ररूपमान में फाइल की जाएगी : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक्) (स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगमों की प्रबंध समिति के सदस्यों/न्यासी बोर्ड, आदि के ब्यौरे) मैं/हम --- (नाम), (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) के (भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगमों की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड, आदि) होने के नाते सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं/करते हैं कि <<प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, (प्रास्थिति/पदनाम)**>>** को, संकल्प सं. ... तारीख.... (प्रति इसके साथ प्रस्तुत) द्वारा, उस कारबार <<माल और सेवा कर पहचान संख्यांक - कारबार का नाम**>>** के लिए, जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इस कारबार के संबंध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे। हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम : पदनाम/प्रास्थिति : (स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं << (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम>> एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से उपर्युक्त निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर स्थान : (नाम)

स्थान :

तारीख :

पदनाम/प्रास्थिति :

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. कारबार के स्थायी लेखा संख्यांक में यथा अभिलिखित व्यक्ति का नाम प्रविष्ट करें। स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, विधिक नाम के सामने स्वत्वधारी का नाम प्रविष्ट करें और स्वत्वधारी के स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें। स्थायी लेखा संख्यांक का आय-कर डाटाबेस से सत्यापन किया जाएगा।
2. ****
3. यदि कारबार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करता है, तो आवेदक को स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगमों की प्रबंध समिति के सदस्यों/न्यासी बोर्ड, आदि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।
4. निम्नलिखित व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं : -

कारबार का गठन	वह व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है

स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंध / प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक
सोसाइटी/ क्लब/ न्यास/ व्यक्ति संगम	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
पब्लिक सेक्टर उपक्रम	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक
असीमित कंपनी	प्रबंध/ पूर्णकालिक निदेशक
सीमित दायित्व भागीदारी	अभिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	भारसाधक व्यक्ति

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की बाबत सूचना वैकल्पिक है। यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकित है, तो कृपया सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध सूची में से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन करें, अन्यथा ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे दें।

6. राज्य विनिर्दिष्ट सूचना केवल संबंधित राज्य के लिए सुसंगत है।

7. नीचे वर्णित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा : -

क्रम सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित हस्ताक्षर का प्रकार
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम असीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी)- वर्ग-2 और उससे ऊपर।
2.	उपर्युक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उससे ऊपर ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो अधिसूचित किया जाए

8. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्यांक (डीआईएन), कारपोरेट पहचान संख्यांक (सीआईएन)/ विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (एफसीआरएन)/ सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक (एलएलपीआईएन)/ विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक (एफएलएलपीआईएन) से संबंधित सभी सूचना का

प्रणाली द्वारा ऑनलाइन विधिमान्यकरण किया जाएगा और भरी गई सभी सूचना के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् अभिस्वीकृति प्राप्ति संख्यांक सृजित किया जाएगा।

9. नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का विकल्प चुनने वाला कोई व्यक्ति, आधार संख्या का ओटीपी आधारित अधिप्रमाणन कराएगा।

10. नियम 14ख के अधीन आवेदन के लिए :

केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का नियम 14ख, अनन्य रूप से अन्य बातों के साथ-साथ, नीचे यथा उल्लिखित कतिपय शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के प्लेटफार्म के माध्यम से माल की पूर्ति करने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए, सरलीकृत माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण तंत्र का उपबंध करता है :

(i) नियम 14ख के अधीन किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एकल स्थायी लेखा संख्यांक पर नियमित करदाता प्रवर्ग (संविरचना, इनपुट सेवा वितरक, विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता, विशेष आर्थिक जोन इकाई और आकस्मिक करदाता के सिवाय प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत) के अधीन एकल रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जाएगा।

(ii) आवेदन वहां प्रस्तुत किया जाएगा जहां उसकी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में न तो कोई भौतिक उपस्थिति है और न ही कोई सक्रिय नियमित रजिस्ट्रीकरण है।

(iii) आवेदन, अन्य बातों के साथ-साथ, वहां अनुज्ञात किया जाएगा जहां गृह राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण की बाबत धारा 29 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं की गई हैं या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया गया है।

(iv) आवेदन, अन्य राज्यक्षेत्र प्रवर्ग से भिन्न अधिकारिताओं की बाबत लागू होगा।

(v) आवेदन में प्रविष्ट इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का जीएसटीआईएन सक्रिय होगा और नियमित करदाता प्रवर्ग के अधीन होगा। उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर सहबद्ध स्रोत पर कर संग्रहण रजिस्ट्रीकरण भी उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सक्रिय होगा, जहां रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है।

(vi) चयनित इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, कारबार के मुख्य स्थान (पीपीओबी) और, जहां लागू हो, कारबार के अतिरिक्त स्थान (एपीओबी) के लिए सात कार्य दिवस के भीतर सहमति दे सकेगा। जहां विहित अवधि के भीतर कारबार के मुख्य स्थान के लिए सहमति प्राप्त नहीं होती है, वहां एआरएन सृजित नहीं किया जाएगा और आवेदक पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। कारबार के अतिरिक्त स्थान की दशा में, जहां विहित अवधि के भीतर सहमति प्राप्त नहीं होती है, वहां ऐसा कारबार का अतिरिक्त स्थान हटा दिया जाएगा और, यथालागू, कारबार के मुख्य स्थान के लिए सहमति की प्राप्ति और बायोमीट्रिक आधार अधिप्रमाणन और दस्तावेज सत्यापन के सफलतापूर्वक पूरा होने के अध्यधीन, एआरएन सृजित किया जाएगा।

(vii) आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, चयनित गृह राज्य रजिस्ट्रीकरण का प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (पीएएस) आधार अधिप्रमाणन के लिए प्रवर्तक/भागीदार का चयन करेगा। तत्पश्चात्, प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और चयनित प्रवर्तक/भागीदार, जहां पहले सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया गया है, बायोमीट्रिक आधार अधिप्रमाणन और दस्तावेज सत्यापन कराएंगे।

(viii) यह सलाह दी जाती है कि इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, कारबार के मुख्य स्थान और/या कारबार के अतिरिक्त स्थान के लिए सहमति देने के पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण के अनुमोदन तक, संशोधन के लिए कोई आवेदन फाइल न करे। प्रदायकर्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात्, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा संशोधन के लिए आवेदन फाइल किया जा सकेगा। तथापि, संशोधन के लिए ऐसा आवेदन फाइल करने से पूर्व, ई-वाणिज्य प्रचालक सभी संबंधित पतों से जुड़ी सहमति प्रत्याहृत करेगा।

(ix) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित पते के परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का आवेदन अनुमोदित कर दिया गया है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे तदनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण का संशोधन करना अपेक्षित है, ऐसे अनुमोदन के तीस दिन के भीतर अपेक्षित संशोधन आवेदन फाइल करने में असफल रहा है, वहां इस नियम के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द किया गया समझा जाएगा और इसकी सूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-38 में दी जाएगी। यदि उक्त पते को उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित किया गया था और उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति तीस दिन की विहित अवधि के भीतर अपेक्षित संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहा है, तो कारबार के ऐसे अतिरिक्त स्थान के ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से हटा दिए जाएंगे।

(x) रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात्, जहां ऐसा रजिस्ट्रीकरण रद्द या निलंबित कर दिया जाता है, वहां नियम 14ख के अधीन कोई नया रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(xi) जहां नियम 14ख के अधीन आवेदनों पर बहु राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है और किसी ऐसे आवेदन के संबंध में चयनित गृह राज्य के जीएसटीआईएन से सहबद्ध क्षेत्र दौरे के परिणामस्वरूप नकारात्मक टिप्पणियां प्राप्त होती हैं, वहां नियम 14ख के अधीन लंबित ऐसे सभी आवेदन प्ररूप जीएसटी आरईजी-05क में स्वतः अस्वीकृत हो जाएंगे।

11. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति का पता, अभिस्वीकृति में उपदर्शित आवेदन निर्देश संख्यांक (एआरएन) को सामान्य पोर्टल पर प्रविष्ट करके लगाया जा सकता है।

12. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है।

13. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा।

14. किसी राज्य के भीतर कारबार के बहु स्थान रखने वाले किसी व्यक्ति को, जिससे अपने कारबार के स्थानों में से किसी के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है, कारबार के प्रत्येक स्थान की बाबत पृथक् रूप से आवेदन करना होगा

15. आवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

16. आवेदन के भाग-क में प्रारंभिक ब्यौरे सफलतापूर्वक दिए जाने के पश्चात्, अस्थायी निर्देश संख्यांक (टीआरएन) आवंटित किया जाएगा, जिसका उपयोग आवेदन के भाग-ख में ब्यौरे भरने के लिए किया जा सकता है। टीआरएन, सामान्य पोर्टल पर 15 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा।

17. कोई व्यक्ति, जो नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प दे सकेगा, जिसे उक्त धारा के अधीन कर का संदाय करने की सूचना समझा जाएगा।

18. प्रदायकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सरकारी विभाग, बैंक खाते के ब्यौरे नहीं दे सकेंगे।

19. ऐसे करदाता, जो यथासंशोधित अधिसूचना सं. 2/2019 - केंद्रीय कर (दर), तारीख 07.03.2019 के फायदे का लाभ उठाकर कर का संदाय करना चाहते हैं, इस प्ररूप के क्रम सं. 5 और 6.1 (iii) पर ऐसा विकल्प उपदर्शित करेंगे।"।

29. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में, -

(i) "प्ररूप जीएसटी आरईजी-03" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 9(2), 19(2) और 14क देखें]" कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "[नियम 9(2), 14क, 14ख, 19 और 20 देखें]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "आपको निदेश दिया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "आपसे अनुरोध किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "आपको (दिन/मास/वर्ष) को (घंटा:मिनट) पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(iv) "यदि कोई उत्तर नहीं" शब्दों से आरंभ होने वाले पैरा से पूर्व, निम्नलिखित शब्दों और कोष्ठकों वाला एक पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"यदि आप व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने की वांछा करते हैं, तो आपको (दिन/मास/वर्ष) को (घंटा:मिनट) पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है।"।

30. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में, -

(i) "प्ररूप जीएसटी आरईजी-04" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 9(2), 19(3) और 14क देखें]" कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "[नियम 9(2), 14क, 14ख, 19 और 20 देखें]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) सारणी में, क्रम संख्यांक 4 पर, "(विधिक)" शब्द और कोष्ठकों के पश्चात्, "/ माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम/विशिष्ट पहचान संख्यांक की दशा में अस्तित्व का नाम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) "टिप्पण" शीर्ष के अधीन, -

(अ) पैरा 2 में, "रजिस्ट्रीकरण" शब्द के पश्चात्, "/ माल और सेवा कर व्यवसायी नामांकन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(आ) पैरा 3 में, "नियम 14क" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, "नियम 14क / 14ख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

31. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में, "प्ररूप जीएसटी आरईजी-05" अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 9(4), 19(4), 23(2)(ख) और 14क देखें]" कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "[नियम 9(4), 14क, 14ख, 19, 20 और 23(2)(ख) देखें]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

32. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-05क

[नियम 14ख, 19(2)(च) और 20(11) देखें]

निर्देश संख्यांक : तारीख-

तक

आवेदक का नाम

पता

जीएसटीआईएन/ यूआईएन/ जीएसटीपी आईडी

संशोधन/ नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ रद्दकरण के लिए आवेदन की नामंजूरी की सूचना

यह, एआरएन --- तारीख---- द्वारा फाइल किए गए संशोधन/ नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ रद्दकरण के लिए आपके आवेदन के संदर्भ में है।

आपने निर्देश सं. तारीख.... द्वारा जारी सूचना का उत्तर केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 19 के उपनियम (2) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है

या

कारबार के मुख्य स्थान से संबंधित ब्यौरों के संशोधन के लिए आपका आवेदन नामंजूर किए जाने का दायी है, क्योंकि-

क. आपका रजिस्ट्रीकरण, प्ररूप जीएसटी आरईजी-19/38 निर्देश सं. <निर्देश सं.> तारीख <दिन/मास/वर्ष> द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है ; या

ख. उस इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसके भांडागार का पता/विशिष्टियां आपके द्वारा अपने कारबार के मुख्य स्थान के रूप में दी गई हैं और जिसके आधार पर आपके द्वारा नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है ; या

ग. उस राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्राहक के रूप में उस इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसके भांडागार का पता/विशिष्टियां आपके द्वारा अपने कारबार के मुख्य स्थान के रूप में दी गई हैं और जिसके आधार पर आपके द्वारा नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है ; या

घ. नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण में आपके द्वारा चयनित गृह राज्य में रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है ; या

ङ. संशोधन के लिए आपके आवेदन में उल्लिखित कारबार के मुख्य स्थान का पता, उस पते से मेल नहीं खाता है जिसके लिए इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक ने अपनी सहमति दी है।

या

जहां भौतिक सत्यापन किया गया है, वहां कारबार के मुख्य स्थान के भौतिक सत्यापन की बाबत नियम 14ख के उपनियम (5) के अनुसार प्रक्रिया, नियम 9 के अनुसार सफलतापूर्वक पूरी नहीं हुई है।

या

नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आपका आवेदन नामंजूर किए जाने का दायी है, क्योंकि-

क. उस इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसके भांडागार का पता/विशिष्टियां आपके द्वारा अपने कारबार के मुख्य स्थान के रूप में दी गई हैं और जिसके आधार पर आपके द्वारा नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है ; या

ख. उस राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्राहक के रूप में उस इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसके भांडागार का पता/विशिष्टियां आपके द्वारा अपने कारबार के मुख्य स्थान के रूप में दी गई हैं और जिसके आधार पर आपके द्वारा नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है ; या

ग. नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आपके आवेदन में आपके द्वारा चयनित गृह राज्य में रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है ; या

घ. रजिस्ट्रीकरण के लिए आपके आवेदन में उल्लिखित कारबार के मुख्य स्थान का पता, उस पते से मेल नहीं खाता है जिसके लिए इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक ने अपनी सहमति दी है।

या

आपने निर्देश सं. तारीख.... द्वारा जारी सूचना का उत्तर केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 20 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है।

या

आपके द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आपका आवेदन नामंजूर किए जाने का दायी है, क्योंकि नियम 14ख के अधीन आपका रजिस्ट्रीकरण, प्ररूप जीएसटी आरईजी-19/38 निर्देश सं. <निर्देश सं.> तारीख <दिन/मास/वर्ष> द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है

अतः, आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा नामंजूर किया जाता है।

यह प्रणाली द्वारा सृजित दस्तावेज है। इस पर किसी भौतिक हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं है।"।

33. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 के स्थान पर,-

(i) निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-14

[नियम 19(1) देखें]

रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों/ माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन

(सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/यूआईएन/जीएसटीपी आईडी	
2. कारबार का नाम/ जीएसटी व्यवसायी का नाम	
3. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	

4. मोबाइल और ई-मेल पते का सत्यापन (कृपया अनुदेश सं. 3, 4, 5 और 6 देखें)

(i) प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (स्वतः)

(ii) प्रवर्तक/भागीदार (स्वतः)

5. संशोधन सारांश

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	कारण

6.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची	
	(क)	
	(ख)	
	(ग)	
	...	

7. घोषणा

मैं, एतद्द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण प्ररूप में दिए गए ब्यौरों में ऐसा परिवर्तन अपेक्षित है, जो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण को आवश्यक नहीं बनाता है और ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेज सामान्य पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं और मैं ऐसे परिवर्तन के कार्यों से आबद्ध होऊंगा। मैं, एतद्द्वारा, यह भी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम तारीख : पदनाम / प्रास्थिति :

-

संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

-

1. संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

2. स्थायी लेखा संख्यांक का आय-कर डाटाबेस से सत्यापन किया जाएगा।

3. संशोधन आवेदन के लिए प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और किसी एक चयनित प्रवर्तक या भागीदार या निदेशक या कर्ता या सदस्य या न्यासी, आदि के मोबाइल संख्या और ई-मेल पते का ऑनलाइन सत्यापन आज्ञापक होगा।

4. प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-09 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 या प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दी गई किन्हीं विशिष्टियों में किसी परिवर्तन के लिए, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या और ई-मेल पते का ऑनलाइन सत्यापन आज्ञापक है।

5. प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दी गई किन्हीं विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में, जीएसटी व्यवसायी के मोबाइल संख्या और ई-मेल पते का ऑनलाइन सत्यापन आज्ञापक है।

6. मोबाइल संख्या और ई-मेल पते के ऑनलाइन सत्यापन/ ओटीपी अधिप्रमाणन (क्रम सं. 3, 4 और 5 के अनुसार) के लिए, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 दिन दिए जाएंगे। यदि अधिप्रमाणन पूरा नहीं होता है/सफलतापूर्वक नहीं किया जाता है, तो एआरएन सृजित नहीं किया जाएगा।

7. कारबार के मुख्य स्थान या वृत्तिक पते के ब्यौरों से संबंधित परिवर्तनों के लिए समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

8. जहां किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी लेखा संख्यांक में परिवर्तन होता है, वहां उक्त व्यक्ति से नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।

9. समय-समय पर यथासंशोधित, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा।

10. स्थायी लेखा संख्यांक, निदेशक पहचान संख्यांक, कारपोरेट पहचान संख्यांक से संबंधित सभी सूचना का प्रणाली द्वारा ऑनलाइन विधिमान्यकरण किया जाएगा और आवश्यक क्षेत्र के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् आवेदन निर्देश संख्यांक (एआरएन) सृजित किया जाएगा।

11. आवेदन की प्रास्थिति का पता सामान्य पोर्टल पर लगाया जा सकता है।

12. संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है।

13. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा।

14. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप में दी गई किन्हीं विशिष्टियों की बाबत संशोधन आवेदन में अपलोड किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज वही होंगे, जो उक्त विशिष्टियों की बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप फाइल करते समय अपेक्षित हैं।

15. रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के दौरान कारबार के मुख्य स्थान के ब्यौरों से संबंधित परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।"

(ii) उक्त प्ररूप के अनुदेशों में, क्रम सं. 7 में, 1 दिसंबर, 2026 से, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

"7. कारबार के मुख्य स्थान के ब्यौरों से संबंधित परिवर्तनों के लिए, ऐसे करदाता की बाबत के सिवाय, जिसने नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किए हैं और जिसने नियम 14क के उपनियम (5) के अधीन प्रत्याहरण का विकल्प नहीं चुना है, या वृतिक पते से संबंधित परिवर्तनों के लिए, समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।"

34. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-15 में, -

(i) "प्ररूप जीएसटी आरईजी-15" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 19(1) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 19(2)(ख) और 19(2)(घ) देखें]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "जीएसटीआईएन / यूआईएन" शब्दों के पश्चात्, "/ जीएसटीपी आईडी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) "संशोधन आदेश" शीर्षक के अधीन, "रजिस्ट्रीकरण" शब्द के पश्चात्, जहां कहीं वह आता है, "/जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

35. मूल नियमों में, 1 दिसंबर, 2026 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-16 में, -

(क) क्रम सं. 6 से संबंधित प्रविष्टियों में, (i) "समापन" शब्द का लोप किया जाएगा, (ii) "कर का संदाय करने के लिए दायी नहीं रहा" शब्दों के स्थान पर, "धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी नहीं रहा, या धारा 25(3) के अधीन स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण से बाहर होने का विकल्प" शब्द रखे जाएंगे, (iii) "समामेलन, विलयन/अविलयन, विक्रय, पट्टे के कारण कारबार का अंतरण या अन्यथा व्ययन, आदि" शब्दों का लोप किया जाएगा, (iv) "के कारण ... में" शब्दों के स्थान पर, "के परिणामस्वरूप ... का" शब्द रखे जाएंगे, (v) "एकल स्वत्वधारी की मृत्यु" शब्दों के स्थान पर, "स्वत्वधारी की मृत्यु के कारण कारबार का अंतरण" शब्द रखे जाएंगे, (vi) "किसी अन्य कारण से कारबार का अंतरण, जिसके अंतर्गत अन्य विधिक अस्तित्व के साथ समामेलन, अविलयन या अन्य व्ययन भी है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, (vii) "अन्य (विनिर्दिष्ट करें)" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं. 8 से संबंधित प्रविष्टियों में, "रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना है" शब्दों के स्थान पर, "रद्दकरण चाहा गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम सं. 9 में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"(iv)	क्या आप उस अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए विवरणी फाइल की गई है, पश्चात् आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए शून्य विवरणी फाइल करना चाहते हैं?	7. हां 8. नहीं";

(घ) क्रम सं. 10 और क्रम सं. 11 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"10.	स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल/संयंत्र और मशीनरी के ब्यौरे, जिन पर इनपुट कर प्रत्यय उलटा जाना और सरकार को वापस संदत्त किया जाना अपेक्षित है

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	बीजक/प्रवेश पत्र		स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल /संयंत्र और मशीनरी का विवरण	मात्रा की इकाई कोड (यूक्यूसी)	मात्रा	मूल्य (नामे/जमा पत्र द्वारा यथासमायोजित)	इनपुट कर प्रत्यय/ संदेय कर (जो भी अधिक हो) (रु.)			
		सं.	तारीख					केंद्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 (क) स्टाक में धारित इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध है)											

10 (ख) स्टाक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध है)										
10 (ग) स्टाक में धारित पूंजी माल/संयंत्र और मशीनरी										

10 (घ) स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में यथा अंतर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध नहीं है)

योग										

11. **संदेय और संदत्त कर की रकम (सारणी 10 के आधार पर)**

क्रम सं.	विवरण	उलटा जाने योग्य आईटीसी/ संदेय कर	इलेक्ट्रानिक नकद खाते में नामे डालकर संदत्त रकम	इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डालकर संदत्त रकम			
				केंद्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केंद्रीय कर						

2.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर						
3.	एकीकृत कर						
4.	उपकर						
5	संदत्त कर की कुल रकम						”;

(ङ) “रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुदेश” शीर्षक के अधीन, अंतिम पैरा के पश्चात्, “रद्दकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व, कृपया उस कर अवधि के लिए, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख आती है, शोध्य अपनी कर विवरणी फाइल करें [या इस आशय का आवेदन दें कि मध्यवर्ती अवधि (अर्थात् रजिस्ट्रीकरण की तारीख से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन की तारीख तक) के दौरान कोई कराधेय पूर्ति नहीं की गई है)।” शब्दों का लोप किया जाएगा, “रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि इस आवेदन के समय संदाय नहीं किया गया है, संदाय करेगा और अधिनियम में यथा उपबंधित अंतिम विवरणी देगा।” शब्दों का लोप किया जाएगा, और निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“

- आवेदक, इनपुट के स्टाक, अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल/संयंत्र और मशीनरी के ऐसे स्टाक के ब्यौरे देंगे, जिन पर इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है।
- क्रम सं. 10 पर स्टाक के ब्यौरे देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है :
- जहां स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्धनिर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं हैं, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल की प्रचलित बाजार कीमत के आधार पर नियम 44 के उपनियम (3) के अधीन रकम का प्राक्कलन करेगा ;

- पूंजी माल/ संयंत्र और मशीनरी की दशा में, उपयोगी जीवन पांच वर्ष मानते हुए, मूल्य, बीजक/क्रय की तारीख से प्रति मास या उसके भाग के लिए 1/60 भाग से घटाया गया बीजक मूल्य होना चाहिए।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से वह तारीख भरना अपेक्षित है, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को यह घोषित करने का विकल्प दिया जाएगा कि क्या वह अंतिम कर अवधि के फाइल किए जाने की तारीख से उस तारीख तक की अवधि के लिए, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, शून्य विवरणी फाइल करना चाहता है।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वह तारीख, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, अंतिम कर अवधि के लिए विवरणियां फाइल किए जाने की तारीख से पूर्वतर नहीं हो सकती।
- सारणी 10 और 11, ऐसे करदाताओं या व्यक्तियों द्वारा भरी जानी अपेक्षित नहीं हैं, जो निम्नलिखित के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं -

 1. इनपुट सेवा वितरक ;
 2. धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति ;
 3. अनिवासी कराधेय व्यक्ति ;
 4. धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ;
 5. धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ;
 6. भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति ; और
 7. विशिष्ट पहचान संख्यांक रखने वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास।

36. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-17

[नियम 22 देखें]

निर्देश सं. - << तारीख **>>**

तक

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (जीएसटीआईएन/यूआईएन)

(नाम)

(पता)

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कारण बताओ सूचना

मेरी जानकारी में आई सूचना के आधार पर, यह प्रतीत होता है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने का दायी है : -

(विनिर्दिष्ट कारणों के लिए ड्राप डाउन)

क. कपट, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाकर रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है ; या

ख. कारबार के घोषित स्थान से कोई कारबार नहीं करता है ; या

ग. माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है ; या

घ. धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण लिया है और रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार आरंभ नहीं किया है ; या

ङ. नियम 23 के उपनियम (1) के तीसरे या चौथे परंतुक के उपबंधों का अतिक्रमण करता है।

1

2

3

....

आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप इस सूचना की तामील की तारीख से सात दिन के भीतर इस सूचना का उत्तर दें।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने की वांछा करते हैं, तो आपको (दिन/मास/वर्ष) को (घंटा:मिनट) पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है।

-

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो मामले का विनिश्चय उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर और गुणागुण पर एकपक्षीय रूप से किया जाएगा।

कृपया मामला विनिर्दिष्ट ब्यौरों के लिए संलग्न समर्थक दस्तावेज (दस्तावेजों) को देखें।

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

तारीख :

स्थान :

टिप्पण : - आपका रजिस्ट्रीकरण ---------- (तारीख) से निलंबित रहेगा।"।

37. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-18 में, 1 अप्रैल, 2027 से, "प्ररूप जीएसटी आरईजी-18" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 22(2) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 22 देखें]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

38. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 में,-

(i) "प्ररूप जीएसटी आरईजी-19" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 22(3) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 20 और 22 देखें]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) "आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख <<दिन/मास/वर्ष**>>** है।" शब्दों से पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा।

"यह, प्ररूप जीएसटी आरईजी-16 <निर्देश संख्यांक**>** तारीख <दिन/मास/वर्ष**>** में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आपके आवेदन के संदर्भ में है

- उक्त आवेदन की परीक्षा करने पर, वह ठीक क्रम में पाया गया है ; या
- आपके द्वारा दिए गए उक्त उत्तर की परीक्षा करने पर, वह समाधानप्रद पाया गया है ; या
- रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आपका आवेदन, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 20 के उपनियम (12) के निबंधनानुसार अनुमोदित किया गया समझा गया है"।

○

(iii) "आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख <<दिन/मास/वर्ष>> है।" शब्दों से पूर्व, "आपका रजिस्ट्रीकरण एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, "यह ध्यान दिया जाए कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से इस आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी देना अपेक्षित है" पैरा के पश्चात्, ", जहां लागू हो।" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और "आपसे अपनी सभी लंबित विवरणियां देना अपेक्षित है" शब्दों के पश्चात्, ", जहां लागू हो।" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

39. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 में, -

(i) "[नियम 22(4) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 22 देखें]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) "उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग)" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (3) के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

40. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-22 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा : -

"

प्ररूप जीएसटी आरईजी-22

[नियम 23(2) और नियम 23क(2) देखें]

निर्देश सं. तारीख

तक

जीएसटीआईएन/यूआईएन

(करदाता का नाम)

(पता)

आवेदन निर्देश सं. (एआरएन) तारीख

नियम 23(2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आदेश

यह, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आपके आवेदन तारीख दिन/मास/वर्ष के संदर्भ में है। आपके आवेदन की परीक्षा की गई है और वह ठीक क्रम में पाया गया है। तदनुसार, आपका रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है।

या

नियम 23क(2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आदेश

यह, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आपके आवेदन तारीख दिन/मास/वर्ष के संदर्भ में है। आपने, यथास्थिति, सभी लंबित विवरणियां दे दी हैं या केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 10क के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है और वह ठीक क्रम में पाया गया है। तदनुसार, आपका रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है।

हस्ताक्षर

समुचित अधिकारी का नाम

(पदनाम)

अधिकारिता -

तारीख

स्थान

यह प्रणाली द्वारा सृजित आदेश है और नियम 23क के अधीन जारी किए जाने पर इस पर हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं है।"।

41. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी आरईजी - 31

[नियम 21क देखें]

निर्देश सं. तारीख : <दिन><मास><वर्ष>

सेवा में,

जीएसटीआईएन

नाम :

पता :

विषय : नियम 21क के उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन की सूचना और रद्दकरण के लिए सूचना

रजिस्ट्रीकरण निलंबित किए जाने का दायी है, क्योंकि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति :

क. धारा 10 के अधीन कर का संदाय करते हुए, किसी वित्तीय वर्ष की विवरणी उक्त विवरणी देने की नियत तारीख से तीन मास से परे तक नहीं देता है ; या

ख. धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, छह मास की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ; या

ग. धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होते हुए, दो कर अवधियों की निरंतर अवधि के लिए विवरणियां नहीं देता है ; या

घ. नियम 10क के उपबंध का अतिक्रमण करता है।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, नियम 21क के निबंधनानुसार, आपका रजिस्ट्रीकरण इस संसूचना की तारीख से निलंबित रहेगा।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप, यथास्थिति, सभी शोध्य विवरणियां या बैंक खाते के विधिमान्य ब्यौरे, इस सूचना की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर सामान्य पोर्टल पर दें।

4. आपके द्वारा नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर सभी शोध्य विवरणियां या बैंक खाते के विधिमान्य ब्यौरे दिए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण का निलंबन हटा लिया जाएगा।

5. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नियम 21क के उपनियम (2) के अधीन निलंबन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर सभी शोध्य विवरणियां या बैंक खाते के विधिमान्य ब्यौरे देने में असफल रहते हैं, तो आपका रजिस्ट्रीकरण नियम 22 के उपनियम (5) के अधीन सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द किया जा सकेगा।

टिप्पन : यह प्रणाली द्वारा सृजित सूचना है और इस पर जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।"।

42. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :–

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-32

[नियम 14क(5) और नियम 14ख देखें]

प्रत्याहरण के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के मुख्य स्थान का पता	
5. नियम 14क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विकल्प	
(i) हां	
(ii) नहीं	
6. नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विकल्प	
(i) हां	
(ii) नहीं	
7. नियम 14ख से प्रत्याहरण के पश्चात् कारबार का मुख्य स्थान : इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के भांडागार का पता अनुज्ञात नहीं है। कृपया राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति वाला पता दें।	

8. आधार अधिप्रमाणन	
(i) प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (स्वतः)	
(ii) प्रवर्तक/भागीदार (स्वतः)	
9. नियम 14क से प्रत्याहरण का कारण	i. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्तियों की बाबत आउटपुट कर दायित्व प्रतिमास ₹2.5 लाख से अधिक है। ii. अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें
10. नियम 14ख से प्रत्याहरण का कारण	i. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्तियों की बाबत आउटपुट कर दायित्व प्रतिमास ₹2.5 लाख से अधिक है। ii. इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से भिन्न पूर्तियां करने का आशय रखता है। iii. उसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कारबार का भौतिक स्थान स्थापित करने का आशय रखता है। iv. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।
11. सत्यापन 7. मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मैं नियम 14क के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण करना चाहता हूं और मैं यह समझता हूं कि आवेदन के सत्यापन और कारबार के स्थानों के भौतिक सत्यापन तथा तत्स्थानी प्रक्रियाओं और समयावधि से संबंधित नियम 8 के उपनियम (4क), उपनियम (5) और उपनियम (6) के उपबंध और नियम 9 के उपबंध मेरे प्रत्याहरण आवेदन को लागू होंगे।	

8. मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मैं नियम 14ख के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण करना चाहता हूं और मैं यह समझता हूं कि आवेदन के सत्यापन और कारबार के स्थानों के भौतिक सत्यापन तथा तत्स्थानी प्रक्रियाओं और समयावधि से संबंधित नियम 8 के उपनियम (4क) और उपनियम (5) के उपबंध और नियम 9 के उपबंध मेरे प्रत्याहरण आवेदन को लागू होंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम

पदनाम / प्रास्थिति

स्थान

तारीख

प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. 'नियम 14क/ नियम 14ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विकल्प' फिल्ड में, सामान्य पोर्टल पर 'हां' विकल्प निष्क्रिय रहेगा।
2. स्थायी लेखा संख्या का आय-कर डाटाबेस से सत्यापन किया जाएगा।
3. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और किसी एक चयनित प्रवर्तक या भागीदार का आधार अधिप्रमाणन आज्ञापक है।
4. नियम 14क के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण के लिए आवेदन करने से पूर्व, आवेदन की तारीख तक सभी लंबित विवरणियां दी जाएंगी। जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 से पूर्व फाइल किया गया है, वहां न्यूनतम तीन मास की अवधि के लिए, और जहां ऐसा आवेदन 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् फाइल किया जाता है, वहां न्यूनतम एक कर अवधि के लिए, विवरणियां देना आज्ञापक है। नियम 14ख के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण के लिए आवेदन करने से पूर्व, न्यूनतम एक कर अवधि के लिए विवरणियां देना आज्ञापक है।
5. कृपया सुनिश्चित करें कि प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 फाइल करते समय कोई संशोधन आवेदन लंबित नहीं है।

6. एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 फाइल कर दिए जाने पर, प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 के अधीन आवेदन के निपटान तक कोई संशोधन आवेदन फाइल करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

7. एआरएन, आधार संख्या के ओटीपी आधारित अधिप्रमाणन के सफलतापूर्वक पूरा होने या प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन सहित बायोमीट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् ही सृजित किया जाएगा।

8. कृपया ध्यान दें कि एक बार प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 फाइल कर दिए जाने पर, आवेदन के निपटान तक रद्दकरण आवेदन फाइल करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

9. यदि धारा 29 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, तो प्ररूप जीएसटी आरईजी-32 में प्रत्याहरण के लिए आवेदन फाइल करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।"।

43. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-33 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :–

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-33

[नियम 14क(10) और नियम 14ख देखें]

निर्देश संख्या - **<<>>** तारीख - दिन/मास/वर्ष

सेवा में,

(नाम)

(पता)

रजिस्ट्रीकरण संख्या (जीएसटीआईएन)

आवेदन निर्देश सं. (एआरएन) तारीख - दिन/मास/वर्ष

नियम 14क के उपनियम (1) या नियम 14ख के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण का आदेश

यह, नियम 14क के उपनियम (1) या नियम 14ख के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किए गए विकल्प से प्रत्याहरण के संबंध में नियम 14क के उपनियम (5) या नियम 14ख के उपनियम (20) के अधीन प्रस्तुत आपके आवेदन संख्या------ तारीख के संदर्भ में है। आपके आवेदन की परीक्षा की गई है और उसे नियम 14क के उपनियम (10) या नियम 14ख के उपनियम (26) के उपबंधों के अधीन स्वीकार कर लिया गया है। संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड के लिए आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

तारीख :

स्थान :"।

44. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-33 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-34

[नियम 20(14) देखें]

निर्देश सं. - << तारीख **>>**

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (जीएसटीआईएन/यूआईएन)

(नाम)

(पता)

रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए कारण बताओ सूचना

मेरी जानकारी में आई सूचना के आधार पर, यह प्रतीत होता है कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारणों से परिवर्तित किए जाने योग्य है : -

(विनिर्दिष्ट कारणों के लिए ड्राप डाउन)

क. कपट, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाकर रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है ; या

ख. कारबार के घोषित स्थान से कोई कारबार नहीं करता है ;

ग. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है ; या

घ. धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण लिया है और रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार आरंभ नहीं किया है ; या

आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर इस सूचना का उत्तर दें।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने की वांछा करते हैं, तो आपको (दिन/मास/वर्ष) को (घंटा:मिनट) पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो मामले का विनिश्चय उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर और गुणागुण पर एकपक्षीय रूप से किया जाएगा।

कृपया मामला विनिर्दिष्ट ब्यौरों के लिए संलग्न समर्थक दस्तावेज (दस्तावेजों) को देखें।

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

स्थान :

तारीख : "।

45. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-34 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-35

[नियम 20(15) देखें]

रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए जारी कारण बताओ सूचना का उत्तर

1.	सूचना की निर्देश सं.		जारी करने की तारीख
2.	जीएसटीआईएन / यूआईएन		
3.	कारबार का नाम (विधिक)		
4.	व्यापार नाम, यदि कोई हो		
5.	सूचना का उत्तर		
6.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची		

7.	सत्यापन मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर : नाम : पदनाम/प्रास्थिति : स्थान : तारीख : "।

46. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-35 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-36

[नियम 20(16)/ नियम 20(19) देखें]

निर्देश सं.- तारीख : दिन/मास/वर्ष

सेवा में,

<करदाता का नाम>

<करदाता का पता>

जीएसटीआईएन/ यूआईएन : <जीएसटीआईएन संख्या>

कारण बताओ सूचना सं. : <कारण बताओ सूचना संख्या> तारीख : दिन/मास/वर्ष

विषय : रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए कार्यवाहियां समाप्त करने का आदेश

यह, ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में एआरएन.... तारीख..... द्वारा फाइल किए गए आपके उत्तर के संदर्भ में है। आपके उत्तर और/या सुनवाई के दौरान किए गए निवेदनों पर विचार करने पर, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जाती हैं :

……..

हस्ताक्षर :

< अधिकारी का नाम>

पदनाम :

अधिकारिता :

स्थान :

तारीख : ”।

या

यह, ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए आपके उत्तर के संदर्भ में है। रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां एतद्द्वारा समाप्त की गई समझी जाती हैं।

टिप्पण : यह प्रणाली द्वारा सृजित सूचना है और इस पर जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं है।

तारीख :"।

47. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-36 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"प्ररूप जीएसटी आरईजी-37

[नियम 20(17)/ नियम 20(18) देखें]

निर्देश संख्या तारीख

सेवा में,

नाम

पता

जीएसटीआईएन / यूआईएन

आवेदन निर्देश संख्या (एआरएन) तारीख

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख में परिवर्तन के लिए आदेश

यह, तारीख को जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है।

1. जबकि कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और जबकि, अधोहस्ताक्षरी की, इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है : या

2. जबकि कारण बताओ सूचना का उत्तर <एआरएन संख्या> तारीख द्वारा प्रस्तुत किया गया है ; और जबकि, अधोहस्ताक्षरी की, कारण बताओ सूचना के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है : या

3. जबकि कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नियत दिन को, और जबकि, अधोहस्ताक्षरी की, इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है : या

4. जबकि कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, किंतु आप/ आपका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए और लिखित या मौखिक निवेदन किया ; और जबकि, अधोहस्ताक्षरी की, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए आपके लिखित या मौखिक निवेदन की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है : या

5. जबकि कारण बताओ सूचना का उत्तर <एआरएन संख्यांक> तारीख द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किंतु, आप या आपका प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुसूचित या विस्तारित तारीख को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए ; और जबकि, अधोहस्ताक्षरी की, कारण बताओ सूचना के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय

में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है : या

6. जबकि कारण बताओ सूचना का उत्तर <एआरएन संख्यांक> तारीख द्वारा प्रस्तुत किया गया है और आप/ आपका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिखित/मौखिक निवेदन किया ; और जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ सूचना के आपके उत्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के समय किए गए निवेदनों की परीक्षा की है और उसकी यह राय है कि आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख निम्नलिखित कारण (कारणों) से परिवर्तित किए जाने योग्य है :

आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख <<दिन/मास/वर्ष>> है।

कृपया मामला विनिर्दिष्ट ब्यौरों के लिए संलग्न समर्थक दस्तावेज (दस्तावेजों) को देखें।

यह ध्यान दिया जाए कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से इस आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी देना अपेक्षित है।

म. आपसे अपनी सभी लंबित विवरणियां देना अपेक्षित है।

य. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण, रद्दकरण की तारीख से पूर्व की किसी अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का संदाय करने या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी बाध्यता का निर्वहन करने के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्यों का अवधारण रद्दकरण की तारीख से पूर्व किया गया हो या उसके पश्चात्।

हस्ताक्षर :

< अधिकारी का नाम>

पदनाम :

अधिकारिता :

स्थान :

तारीख : ”।

48. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-37 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

प्ररूप जीएसटी आरईजी-38

[नियम 14ख, 20 और 22 देखें]

संदर्भ सं.- ...

तारीख : दिन/मास/वर्ष

सेवा में जीएसटीआईएन/ यूआईएन :

कारण बताओ सूचना सं. :

तारीख : दिन/मास/वर्ष

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण

7. यह, आपके द्वारा संदर्भ संख्यांक तारीख दिन/मास/वर्ष द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन के संदर्भ में है। रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण को आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख/उस तारीख से, जिससे रद्दकरण चाहा गया है, रद्द किया गया समझा जाता है।

अथवा

7. यह, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 21क के उपनियम (2) के उपबंध के उल्लंघन के लिए आरईजी-31 में संदर्भ संख्या तारीख दिन/मास/वर्ष द्वारा जारी सूचना के संदर्भ में है। जबकि उक्त सूचना के प्रत्युत्तर में लंबित विवरणियां फाइल नहीं की गई हैं या बैंक खाते के विधिमान्य ब्यौरे नहीं दिए गए हैं, अतः रजिस्ट्रीकरण को केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 22 के उपनियम (5) के अधीन तारीख से रद्द किया गया समझा जाता है।

या

7. नियम 14ख के अधीन अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया समझा जाता है, क्योंकि-

(क) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अपने उस भांडागार से, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपने कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित किया गया है, उसके माध्यम से माल की पूर्ति करने के लिए दी गई अनुमति प्रत्याहृत कर लेता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण, जिसके अंतर्गत धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए सहबद्ध रजिस्ट्रीकरण भी है, रद्द कर दिया गया है और उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, अनुमति के प्रत्याहरण या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से तीस दिन के भीतर उपनियम (15) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों के संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया है ; या

(ख) गृह राज्य में अभिप्राप्त वह रजिस्ट्रीकरण, जिसे घोषित करके इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, रद्द कर दिया गया है ; या

(ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के मुख्य स्थान के रूप में घोषित पते के परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का आवेदन अनुमोदित कर दिया गया है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे तदनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण का संशोधन करना अपेक्षित है, ऐसे अनुमोदन के तीस दिन के भीतर अपेक्षित संशोधन आवेदन फाइल करने में असफल रहा है।

2. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण, रद्दकरण की तारीख से पूर्व की किसी अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का संदाय करने या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी बाध्यता का निर्वहन करने के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्यों का अवधारण रद्दकरण की तारीख से पूर्व किया गया हो या उसके पश्चात्।

स्थान :

तारीख :

*यह प्रणाली द्वारा सृजित आदेश है और इस पर किसी हस्ताक्षर की अपेक्षा नहीं है।"।"

49. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में, "प्ररूप जीएसटीआर-3ख" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 61(5) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 61(1) देखें]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

50. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-4 में, -

(i) सारणी संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"क्रम सं.	**विवरण**	**मूल्य**	**एकीकृत कर**	**केंद्रीय कर**	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर**	**उपकर**
1	माल की जावक पूर्तियां (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित)					
1(क)	सेवाओं की जावक पूर्तियां (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित) किंतु (किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई सेवाओं की उन पूर्तियों को छोड़कर, जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है)					
1(ख)	किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई सेवाओं की जावक पूर्तियां, जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है।					
2	प्रतिलोम प्रभार आकर्षित करने वाली आवक पूर्तियां, जिनके अंतर्गत सेवाओं का आयात भी है					
3	संदेय कर (1+1(क)+2)					
4	संदेय ब्याज, यदि कोई हो					
5	संदत्त कर और ब्याज					";

(ii) "अनुदेश" शीर्ष के अधीन, क्रम संख्यांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"5क करदाता, माल की पूर्ति के लिए जावक पूर्तियों (और उनके समायोजनों) (छूट प्राप्त पूर्तियों सहित) की रिपोर्ट अभिहित स्तंभ में करेगा।

5ख सेवाओं की जावक पूर्तियों (और उनके समायोजनों) की, जिनके अंतर्गत छूट प्राप्त पूर्तियां भी हैं किंतु जिनमें सेवाओं की वह पूर्ति सम्मिलित नहीं है जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, रिपोर्ट सारणी 1(क) में की जानी है

5ग करदाता, सेवाओं की उन जावक पूर्तियों (और उनके समायोजनों) की, जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, रिपोर्ट सारणी 1(ख) में पृथक् रूप से करेगा। संविरचना करदाताओं से ऐसी पूर्तियों पर कर दायित्व का निर्वहन करना अपेक्षित नहीं है ; तथापि, अनुपालन और रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए इन पूर्तियों को उनके वार्षिक सकल आवर्त की गणना में सम्मिलित किया जाएगा।"

51. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-4क में, "प्ररूप जीएसटीआर-4क" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 59(3) और 66(2) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 60(1) देखें]" कोष्ठको, शब्दों और अंकों रखे जाएंगे।

52. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-5 में, "अनुदेश" शीर्ष के अधीन, क्रम संख्यांक 3 में, "20" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "13" अंकों और अक्षरों रखे जाएंगे।

53. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-6 में, -

(i) सारणी 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों तथा सारणी 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) सारणी 8 में, "सारणी सं. 6" शब्दों और अंक के पश्चात्, "और 7" शब्द और अंक का लोप किया जाएगा ;

(iii) "अनुदेश :-" शीर्ष के अधीन, -

(अ) क्रम संख्यांक 6 में, "अपनी इकाइयों" शब्दों के पश्चात्, "उसी कर अवधि में जिसमें आवक पूर्तियां प्राप्त की गई हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(आ) क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों तथा क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

54. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-6क में, -

(i) "प्ररूप जीएसटीआर-6क" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 59(3) और 65 देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 60(1) और नियम 65 देखें]" कोष्ठको, शब्दों और अंकों रखे जाएंगे ;

(ii) "स्वतः प्रारूपित प्ररूप पूर्तियों के ब्यौरे" शब्दों के पश्चात्, "(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-1क, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-7 से स्वतः प्रारूपित)" कोष्ठकों, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-1क और जीएसटीआर-5 से स्वतः प्रारूपित)" कोष्ठको, शब्दों, अक्षरों और अंकों रखे जाएंगे।

55. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-7क में, 1 जनवरी, 2027 से, सारणी संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"7. पूर्तियों और काटे गए कर की रकम के ब्यौरे -

बीजक/ दस्तावेज के ब्यौरे			रकम	स्रोत पर काटे गए कर की रकम (₹)		
सं.	तारीख	मूल्य	(स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी कटौतीकर्ता को संदत्त) (₹)	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7
						";

56. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, "अनुदेश" शीर्ष के अधीन, -

(i) पैरा 4 में, -

(अ) "या वित्तीय वर्ष 2024-25" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, "या वित्तीय वर्ष 2025-26 से आगे" शब्दों, अक्षरों और अंकों अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) सारणी में, -

(I) दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक "5घ, 5ङ और 5च" के सामने, "वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 से आगे" अक्षरों, अंकों और शब्दों रखे जाएंगे ;

(II) दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक 5ज, 5झ और "5ञ और 5ट" के सामने, "2023-24 और 2024-25" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2023-24, 2024-25 और 2025-26 से आगे," अंको और शब्दों रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 5 में, दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक 6ख, 6ग और 6घ के सामने, "2023-24 और 2024-25" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2023-24, 2024-25 और 2025-26 से आगे," अंको और शब्दों रखे जाएंगे ;

(iii) पैरा 8 में, दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक "15क, 15ख, 15ग और 15घ", "15ङ, 15च और 15छ", 16क, 16ख, 16ग और "17 और 18" के सामने, "2023-24 और 2024-25" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2023-24, 2024-25 और 2025-26 से आगे," अंको और शब्दों रखे जाएंगे।

57. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग में, "अनुदेश" शीर्ष के अधीन, -

(i) पैरा 4 में, दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ, 5च, 5ज, 5झ, 5ञ, 5ट, 5ठ, 5ड और 5ढ के सामने, "2023-24 और 2024-25" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2023-24, 2024-25 और 2025-26 से आगे," अंको और शब्दों रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 6 में, दूसरे स्तंभ में, सारणी संख्यांक 14 के सामने, "2023-24 और 2024-25" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2023-24, 2024-25 और 2025-26 से आगे," अंको और शब्दों रखे जाएंगे।

58. मूल नियमों में, 1 दिसंबर, 2026 से, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01

[नियम 89(1), 89(1क) और 89(1ख) देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

(आकस्मिक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर कटौतीकर्ता, कर संग्राहक, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति के लिए लागू)

1.	जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी	

2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो							
4.	फाइल करने की तारीख को रजिस्ट्रीकरण की वर्तमान प्रास्थिति							
5.	पता							
6.	**कर अवधि** **(यदि लागू हो)**	**<वर्ष><मास> से <वर्ष><मास> तक**						
7.	दावा की गई प्रतिदाय की रकम (रु.)	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
		केंद्रीय कर						
		राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		योग						
8.	प्रतिदाय दावे का आधार (ड्राप डाउन में से चयन करें)	(क)	इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अधिक अतिशेष					
		(ख)	सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय सहित					

(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय के बिना (संचित आईटीसी) क्या पूंजी माल पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है? हां/नहीं

(घ) आदेश के मद्दे

क्रम सं.	आदेश का प्रकार	आदेश सं.	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	संदाय संदर्भ सं., यदि कोई हो
i.	निर्धारण				
ii.	अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाना				
iii.	अपील				
iv.	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)				

(ङ)	प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी, (च) में उल्लिखित प्रवर्ग के अधीन फाइल किए गए प्रतिदाय के सिवाय। [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)] क्या पूंजी माल पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है? हां/नहीं
(च)	प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी, जहां संचित आईटीसी में अधिसूचना सं. 40/2017-के.क.(द), तारीख 23.10.2017 या अधिसूचना सं. 41/2017-ए.क.(द), तारीख 23.10.2017 के मद्दे की गई पूर्ति अंतर्वलित है। [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)] क्या पूंजी माल पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है? हां/नहीं
(छ)	विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के मद्दे (कर के संदाय सहित)

	(ज)	विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के मद्दे (कर के संदाय के बिना) क्या पूंजी माल पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है? हां/नहीं
	(झ)	समझे गए निर्यात की पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता/ समझे गए निर्यात की पूर्तियों का प्रदायकर्ता
	(ञ)	किसी राज्यांतरिक पूर्ति पर संदत्त कर, जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतरराज्यिक पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है और विलोमतः (पूर्ति के स्थान में परिवर्तन)
	(ट)	कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो
	(ठ)	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रतिदाय
	(ड)	कर के संदाय के बिना विद्युत का निर्यात (संचित आईटीसी) क्या पूंजी माल पर प्राप्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है? हां/नहीं
	(ढ)	निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में ऊर्ध्वमुखी संशोधन पर संदत्त अतिरिक्त एकीकृत कर
	(ण)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

9	बैंक खाते के ब्यौरे	बैंक का नाम	शाखा का पता	आईएफएससी	खाते का प्रकार	खाता सं.

10.	**नियम 89(2)(ड) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र, यदि लागू हो**	यूडीआईएन सं. : तारीख : फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. :

		आईसीएआई नामांकन सं. : चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम : (यह प्रमाणपत्र उन आवेदकों द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है, जो धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं।) *चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र का संलग्नक (उपाबंध 2)*

कारबार के क्रियाकलाप की प्रकृति/कारबार के क्रियाकलाप की संक्षिप्त रूपरेखा [वैकल्पिक] :

(1000 से अनधिक शब्दों में) :

घोषणा- क [धारा 54(3) का पहला परंतुक, नियम 89(4) और 89(5)] धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय में धारा 17(5) के अधीन अनुपलब्ध आईटीसी सम्मिलित नहीं है।

धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय में (1) धारा 17(5) के अधीन अनुपलब्ध आईटीसी और (2) 'शून्य' दर वाली या पूर्णतः छूट प्राप्त पूर्तियां करने के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी सम्मिलित नहीं है।

घोषणा - ख [नियम 89(2)(च)]

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आने वाली माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की बाबत विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से कर संगृहीत नहीं किया गया है।

घोषणा - ग [नियम 89(1) का दूसरा परंतुक]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/प्रदायकर्ता के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किए जाने की दशा में

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है जिनका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, विवरण 5ख में दिया गया है और रकम, उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई विधिमान्य विवरणी में प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि प्रदायकर्ता ने उक्त पूर्तियों की बाबत प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किए जाने की दशा में

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है जिनका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, विवरण 5ख में दिया गया है। मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों की बाबत किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर कोई इनपुट कर प्रत्यय भी प्राप्त नहीं किया है।

घोषणा - घ [धारा 54(4) और नियम 89(2)(ठ)]

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि प्रतिदाय आवेदन में दावा किए गए कर, ब्याज या किसी अन्य रकम की बाबत रु.--/ के प्रतिदाय की बाबत, ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित नहीं किया गया है।

(यह घोषणा उन आवेदकों द्वारा दी जानी अपेक्षित नहीं है, जो धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं)

घोषणा - ङ [नियम 91(1)]

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें, उस कर अवधि के, जिससे प्रतिदाय का दावा संबंधित है, ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान, अधिनियम के अधीन या किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए, जहां अपवंचित कर की रकम पांच सौ लाख रुपए से अधिक है, अभियोजित नहीं किया गया है।

वचनबंध - क

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96ख के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्त न होने की दशा में, मंजूर की गई प्रतिदाय की रकम, ब्याज सहित, सरकार के पास जमा करूंगा/करेंगे।

वचनबंध - ख

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि यदि पश्चात्वर्ती रूप से यह पाया जाता है कि प्रतिदत्त रकम की बाबत केंद्रीय माल और सेवा कर/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है, तो मंजूर की गई प्रतिदाय की रकम, ब्याज सहित, सरकार को वापस संदत्त करूंगा/करेंगे।

11. सत्यापन

मैं/हम <करदाता का नाम> सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं/करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस मद्दे कोई प्रतिदाय मेरे/हमारे द्वारा पहले प्राप्त नहीं किया गया है।

-

स्थान

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

उपाबंध-1

विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार : प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(रकम रु. में)

क्रम नहीं	प्राप्त आवक पूर्तियों के दस्तावेजों के ब्यौरे											आवक पूर्तियों पर संदत्त कर				क्या धारा 17(5) के अधीन आईटीसी उपलब्ध नहीं है	आईटीसी के लिए पात्र	पात्र आईटीसी की रकम	जीएसटीआर-2ख विवरणी अवधि (मास-वर्ष)	जारी जावक पूर्तियों के दस्तावेजों के ब्यौरे							जावक पूर्तियों पर संदत्त कर		
	आवक पूर्ति का प्रकार	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन/ स्वयं का जीएसटीआईएन	प्रदायकर्ता का नाम	दस्तावेज का प्रकार	सं. प्रवेश पत्र	पत्तन कोड	तारीख	एचएसएन/ एसएसी	कर की दर	आवक पूर्तियों का प्रवर्ग	करा धेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर	संदत्त कुल कर					जावक पूर्ति का प्रकार	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	एचएसएन/ एसएसी	करा धेय मूल्य	कर की दर	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	3क	4	5	6	7	7क	7ख	7ग	8	9	10	11	11क	11ख	11ग	11घ	11ङ	12	13	14	15	15क	16	16क	17	18	19
																(हां/नहीं)	हां/नहीं/आंशिक												

-

-

विवरण-1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(रकम रु. में)

	माल और सेवाओं की प्रत्यावर्तित दर पूर्ति का आवर्त	**माल और सेवाओं की ऐसी प्रत्यावर्तित दर पूर्ति पर संदेय कर**	समायोजित कुल आवर्त (3=3क+3ख+3ग)			शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	**इनपुट और इनपुट सेवाओं पर आईटीसी**	**दावा की जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय रकम [(1x4÷3)-2]**
कर/उपकर			माल और सेवाओं की गैर शून्य दर पूर्ति	माल की शून्य दर पूर्ति	सेवाओं की शून्य दर पूर्ति			
1क	1	2	3क	3ख	3ग	4	4क	5
एकीकृत कर								
केंद्रीय कर								
राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर								
उपकर								
योग								

विवरण 1ख (नियम 89(2)(जक))

प्रतिदाय का प्रकार : उन मामलों में प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी, जहां माल की पूर्ति अधिसूचना सं. 40/2017-के.क.(द), तारीख 23.10.2017 और अधिसूचना सं. 41/2017-ए.क.(द), तारीख 23.10.2017 के अधीन की गई है (धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii))

(रकम रु. में)

क्रम सं.	जावक पूर्ति बीजक के ब्यौरे			जावक पूर्तियों पर संदत्त कर			प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	प्राप्तिकर्ता का आईईसी	प्राप्तिकर्ता द्वारा फाइल किए गए पोत परिवहन बिल/ निर्यात बिल के ब्यौरे				ईजीएम के ब्यौरे		क्या माल का निर्यात बीजक जारी किए जाने के 90 दिन के भीतर किया गया
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर			सं.	तारीख	पत्तन कोड	पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य	निर्देश सं.	तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

विवरण 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रु. में)

क्रम सं.	दस्तावेज के ब्यौरे					एकीकृत कर	बीआरसी/एफआईआरसी			जीएसटीआर 1I अवधि
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य		सं.	तारीख	मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

विवरण 3 [नियम 89(2)(ख) और नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु. में)

क्रम सं.	दस्तावेज के ब्यौरे				माल/ सेवाएं (मा/से)	एचएसएन/ एसएसी	पोत परिवहन बिल/निर्यात बिल				ईजीएम के ब्यौरे		बीआरसी / एफआईआरसी		
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य			पत्तन कोड	सं.	तारीख	पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य	निर्देश सं.	तारीख	सं.	तारीख	मूल्य
1	2	3	4	5	6	6क	7	8	9	10	11	12	13	14	15

विवरण-3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु. में)

कर/उपकर	माल और सेवाओं की शून्य दर पूर्ति का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त (3=3क+3ख+3ग)			प्रतिदाय रकम (1x2÷3)
			माल और सेवाओं की गैर शून्य दर पूर्ति	माल की शून्य दर पूर्ति	सेवाओं की शून्य दर पूर्ति	
1क	1	2	3क	3ख	3ग	4
एकीकृत कर					-	
केंद्रीय कर						
राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर						
उपकर						
योग						

विवरण-3ख [नियम 89(2)(खक)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना विद्युत का निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु. में)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे				आरईए के ब्यौरे					प्रति यूनिट टैरिफ रु. में (करार के अनुसार)	निर्यात की गई यूनिटें (स्तंभ सं. 5 और 10 में से कम)	निर्यात की गई विद्युत का मूल्य रु. में (11 x 12)
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	निर्यात की गई ऊर्जा (यूनिट)	उत्पादन केंद्र	अवधि	निर्देश सं.	तारीख	निर्यात की गई अनुसूचित ऊर्जा (यूनिट)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

-

-

विवरण 4 [नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ङ)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के संबंध में (कर के संदाय पर)

(रकम रु. में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज के ब्यौरे					माल/ सेवाएं (मा/से)	पोत परिवहन बिल/ निर्यात बिल (माल की पूर्ति की दशा में)/ विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक (सेवाओं की पूर्ति की दशा में)			कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर	संदाय के ब्यौरे				
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	एचएसएन/ एसएसी		पत्तन कोड	सं.	तारीख				संव्यवहार आईडी सं.	तारीख	रकम	बैंक खाता सं.	आईएफएससी कोड
1	2	3	4	5	5क	5ख	5ग	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

विवरण 5 [नियम 89(2)(घ) और नियम 89(2)(ङ)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के संबंध में (कर के संदाय के बिना)

(रकम रु. में)

क्रम सं.	दस्तावेज के ब्यौरे					माल/ सेवा (मा/से)	पोत परिवहन बिल/ निर्यात बिल (माल की पूर्ति की दशा में)/ विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक (सेवाओं की पूर्ति की दशा में)			प्रदायकर्ता द्वारा प्राप्तिकर्ता को किए गए संदायों के ब्यौरे				
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	एचएसएन/ एसएसी		पत्तन कोड	सं.	तारीख	संव्यवहार आईडी सं.	तारीख	रकम	बैंक खाता सं.	आईएफएससी कोड
1	2	3	4	5	5क	6	6क	7	8	9	10	11	12	13
						-								

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के संबंध में (संचित आईटीसी)

(रकम रु. में)

कर/उपकर	माल और सेवाओं की शून्य दर पूर्ति का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त (3=3क+3ख+3ग)			प्रतिदाय रकम (1x2÷3)
			माल और सेवाओं की गैर शून्य दर पूर्ति	माल की शून्य दर पूर्ति	सेवाओं की शून्य दर पूर्ति	
1क	1	2	3क	3ख	3ग	4
एकीकृत कर					-	
केंद्रीय कर						

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर						
उपकर						
योग						

-

विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए समझे गए निर्यात के संबंध में

(रकम रु. में)

क्रम सं.	प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किए जाने की दशा में आवक पूर्तियों के दस्तावेज के ब्यौरे					संदत्त कर			
	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	1क	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए समझे गए निर्यात के संबंध में

(रकम रु. में)

क्रम सं.	प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किए जाने की दशा में आवक पूर्तियों के दस्तावेज के ब्यौरे					संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

विवरण 6 [नियम 89(2)(ञ)]

प्रतिदाय का प्रकार : पूर्ति के स्थान में परिवर्तन के संबंध में (अंतरराज्यिक से राज्यांतरिक और विलोमतः)

(रकम रु. में)

दस्तावेज का प्रकार बी2सी/रजिस्ट्रीकृत	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन/यूआईएन (बी2बी की दशा में)	नाम (बी2सी की दशा में)	दस्तावेज के ब्यौरे					पहले राज्यांतरिक / अंतरराज्यिक संव्यवहार के रूप में माने गए संव्यवहार को आच्छादित करने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे					
			दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	अंतर/अंतरा	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	पूर्ति का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

संव्यवहार, जिन्हें पश्चात्वर्ती रूप से अंतरराज्यिक / राज्यांतरिक पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया

अंतर/अंतरा	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	पूर्ति का स्थान
15	16	17	18	19	20

विवरण-7

[नियम 89(2)(ट)]

प्रतिदाय का प्रकार : फाइल की गई अंतिम विवरणी की दशा में, कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो।

(रकम रु. में)

क्रम	दस्तावेज/बीजक के ब्यौरे			संदत्त रकम के ब्यौरे						दावा किए गए प्रतिदाय के ब्यौरे					
सं.	दस्तावेज का प्रकार	एआरएन सं.	तारीख	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	ब्याज	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	ब्याज	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

विवरण-8

[नियम 89(2)(टक)]

प्रतिदाय का प्रकार : अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए प्रतिदाय

(रकम रु. में)

क्रम सं.	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज/बीजक के ब्यौरे				संदत्त कर				प्रदायकर्ता को बीजक मूल्य के संदाय के ब्यौरे		रद्दकरण/समाप्ति के विरुद्ध प्राप्त संदाय के ब्यौरे		दावा की गई प्रतिदाय रकम (ए+के+रा+उपकर)
		दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर (ए)	केंद्रीय कर (के)	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर (रा)	उपकर	तारीख	रकम	तारीख	रकम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

विवरण 9क

[नियम 89(2)(खख)]

प्रतिदाय का प्रकार : निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में ऊर्ध्वमुखी संशोधन पर संदत्त अतिरिक्त एकीकृत कर

(रकम रु. में)

निर्यात बीजक			*पोत परिवहन बिल*			*निर्यात प्रेषण के ब्यौरे*			*प्रतिदाय के ब्यौरे*	
सं.	*तारीख*	*बीजक का कुल मूल्य*	*निर्यात पत्तन कोड*	*सं.*	*तारीख*	*बीआरसी/एफआईआरसी सं.*	*तारीख*	*प्रेषण रकम*	*रकम*	*मंजूरी की तारीख*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*

निर्यात के पश्चात् कीमत में वृद्धि									
अनुपूरक बीजक/ नामे पत्र और एकीकृत कर संदाय के ब्यौरे						*अतिरिक्त निर्यात प्रेषण के ब्यौरे*			
सं.	*तारीख*	*अनुपूरक बीजक का कुल मूल्य*	*प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी अवधि में संदत्त*	*संदत्त कुल अतिरिक्त एकीकृत कर*	*एकीकृत कर की रकम पर संदत्त ब्याज*	*बीआरसी/एफआईआरसी सं.*	*तारीख*	*अतिरिक्त प्रेषण रकम*	
(12)	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	

विवरण 9ख

[नियम 89(2)(खग)]

प्रतिदाय का प्रकार : माल के निर्यात के लिए जारी नामे/जमा पत्रों/अनुपूरक बीजक के ब्यौरे

(रकम रु. में)

क्रम सं.	*दस्तावेज का प्रकार (नामे पत्र/ जमा पत्र/*	*नामे पत्र/ जमा पत्र/ अनुपूरक बीजक*	*दस्तावेज की तारीख*	*मास के लिए जीएसटीआर-1 में घोषित दस्तावेज*	*मास के लिए जीएसटीआर-3ख में घोषित दस्तावेज की बाबत संदत्त कर दायित्व/दावा किया गया आईटीसी*	*बीआरसी/ विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र सं.*	*बीआरसी/ विदेशी आवक प्रेषण*	*क्या नियम 96 के अधीन पोत परिवहन बिल के लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है (हां/नहीं)*	*ऐसे पोत परिवहन बिल सं. के ब्यौरे*	*ऐसे पोत परिवहन बिल की तारीख*	*निर्यात पत्तन कोड*

	अनुपूरक बीजक)						*प्रमाणपत्र की तारीख*				
(1)	*(1क)*	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*

विवरण 10 [नियम 89(4) और 89(5)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के संदाय के बिना शून्य दर पूर्तियां (संचित आईटीसी) या प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी

पूंजी माल पर प्राप्त पात्र इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय

क्रम सं.	**प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन**	**पूंजी माल के बीजक के ब्यौरे**					**जीएसटीआर-2ख अवधि**	**पूंजी माल की आवक पूर्ति पर कर**			**सुसंगत अवधि के लिए उलटा गया आईटीसी**			**सुसंगत अवधि के लिए पूंजी माल का शुद्ध आईटीसी**
		दस्तावेज का प्रकार	**नहीं**	**तारीख**	**मूल्य**	**एचएसएन**		**आईजीएसटी**	**सीजीएसटी**	**एसजीएसटी**	**आईजीएसटी**	**सीजीएसटी**	**एसजीएसटी**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

		बीजक/जमा पत्र/नामे पत्र/प्रवेश पत्र												

उपाबंध-2

प्रमाणपत्र [नियम 89(2)(ड)]

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स---------- (आवेदक का नाम) जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी------- द्वारा कर अवधि < ----> के लिए दावा किए गए रु.<<>> ---------- (शब्दों में) के प्रतिदाय की बाबत, कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित नहीं किया गया है। यह प्रमाणपत्र, आवेदक द्वारा अनुरक्षित/दी गई लेखा बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेखों और विवरणियों की विशिष्टियों की परीक्षा पर आधारित है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट/ लागत लेखाकार के हस्ताक्षर :

नाम :

यूडीआईएन सं. :

फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. :

आईसीएआई नामांकन सं.

स्थान :

तारीख :

टिप्पण - यह प्रमाणपत्र उस आवेदक द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है, जो अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा कर रहा है।

उपाबंध - 3 (नियम 89(2)(ढ))

अनुपयोजित आईटीसी के प्रतिदाय के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवक पूर्तियों का विवरण

क्रम सं.	विशिष्टियां	कुल केंद्रीय कर	कुल राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	कुल एकीकृत कर	कुल उपकर
(1)	यूटिलिटी में उल्लिखित बीजकों के अनुसार कुल आईटीसी				
(2)	केंद्रीय माल और सेवा कर नियमों के नियम 38, 42 और 43 तथा धारा 17(5) के अनुसार उलटाव				
(3)	उलटाव - अन्य				
	उलटावों के पश्चात् शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय (1)-(2)-(3)				

-

क्रम सं.	आवक पूर्ति का प्रकार *	दस्तावेज का प्रकार *	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज के ब्यौरे					आवक पूर्तियों का प्रवर्ग	एचएसएन/ एसएसी	संदत्त कुल कर					क्या धारा 17(5) के अधीन आईटीसी उपलब्ध नहीं है*	आईटीसी के लिए पात्र	पात्र आईटीसी की रकम	जीएसटीआर-2ख विवरणी अवधि * (मास-वर्ष)
				प्रदायकर्ता का नाम	दस्तावेज सं./ प्रवेश पत्र सं.	पत्तन कोड *	तारीख	कराधेय मूल्य			केंद्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	संदत्त कुल कर (12+13+14+15)*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

																हां/नहीं	हां/नहीं/आंशिक		

-

उपाबंध-4

<u>इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने के लिए उत्पादन संयंत्रों (परमाणु, गैस, घरेलू लिंकेज कोयला, मिश्रित ईंधन के सिवाय ईंधन का उपयोग करने वाले) द्वारा निर्यात की गई विद्युत के लिए अनुसूचित ऊर्जा का विवरण</u>

-

1. वह मास जिसमें विद्युत का निर्यात किया गया : (मास/वर्ष)
2. उत्पादन केंद्र का नाम और अवस्थिति : (उत्पादन केंद्र, जिला, राज्य का नाम प्रविष्ट करें)
3. कंपनी का नाम : (कंपनी का नाम प्रविष्ट करें)
4. कंपनी का जीएसटीआईएन : (कंपनी का जीएसटीआईएन प्रविष्ट करें)
5. उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता : (मेगावाट में संस्थापित क्षमता प्रविष्ट करें)
6. संयोजन बिंदु, राज्य और क्षेत्र : ("एसटीयू/आईएसटीएस" विनिर्दिष्ट करें - उप-केंद्र का नाम प्रविष्ट करें), राज्य, क्षेत्र
7. **मास के दौरान अनुसूचित ऊर्जा के ब्यौरे :**

घरेलू	
घरेलू अस्तित्व का नाम	**अनुसूचित ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)**

-	-
घरेलू विक्रय का उप-योग (क)	
सीमापार	
-	-
निर्यात का उप-योग (ख)	
उत्पादन केंद्र की कुल अनुसूचित ऊर्जा (ग=क+ख)	**(उप-योग-क और उप-योग-ख का योग प्रविष्ट करें)**

टिप्पण : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 की धारा 6.1 (घ) के अधीन पूरक वाणिज्यिक तंत्र के अनुसार, हिताधिकारी, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की सुसंगत संविदाओं/ आदेशों के अनुसार, अनुसूचित प्रेषण के लिए ऊर्जा प्रभारों का संदाय करेंगे।

अनुदेश

1. प्रतिदाय आवेदन के साथ उपलब्ध कराए जाने वाले सभी विवरणों/घोषणाओं/वचनबंधों/प्रमाणपत्रों और अन्य समर्थक दस्तावेजों की सूची, इन अनुदेशों से संलग्न उपाबंध में देखी जा सकती है।

2. उन मामलों में, जहां प्रत्यय, आउटपुट पूर्तियों पर कर की दर की तुलना में इनपुट पर कर की दर के अधिक होने के कारण और आउटपुट पूर्तियों के किसी ऐसी रियायती अधिसूचना के अधीन किए जाने के कारण, जिसके कारण आउटपुट पूर्तियों पर कर की दर इनपुट पर कर की दर से कम है, दोनों के संबंध में संचित हुआ है, वहां प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन संचयन की सुभिन्न रूप से पहचान करते हुए पृथक् प्रतिदाय आवेदन फाइल किए जाएंगे। ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सुसंगत प्रवर्ग से संबंधित जावक पूर्तियों के ब्यौरे अनन्य रूप से संबंधित विवरण, अर्थात् विवरण 1क या विवरण 1ख में दिए जाएं। इसके अतिरिक्त, जावक पूर्ति के ब्यौरों का उसी पंक्ति में आवक पूर्ति के ब्यौरों के ठीक तत्स्थानी होना आवश्यक नहीं है।

3. अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, पूर्तियों के मदवार ब्यौरे उपाबंध-3 में भरे जाने अपेक्षित हैं।

4. आवेदन फाइल करते समय इलेक्ट्रानिक प्रत्यय या नकद खाते में नामे प्रविष्टि की जाएगी।

5. यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, तो प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।

6. आईजीएसटी के संदाय सहित माल के निर्यात पर प्रतिदाय के दावे पर इस आवेदन के माध्यम से कार्रवाई नहीं की जाएगी।

7. बैंक खाते के ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण डाटा के अनुसार होने चाहिए। बैंक ब्यौरों में किसी परिवर्तन को आवेदन में उद्धृत करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधित किया जाएगा।

8क. प्रत्यावर्तित शुल्क संरचना के मद्दे संचित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय दावे की दशा में, शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय से इनपुट, इनपुट सेवाओं (जिनकी बाबत इनपुट कर प्रत्यय 1 नवंबर, 2026 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है) और पूंजी माल (जिसकी बाबत इनपुट कर प्रत्यय 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है) पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है।

8ख. शून्य दर पूर्तियों के मद्दे संचित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय दावे की दशा में, शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय से इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजी माल (जिसकी बाबत इनपुट कर प्रत्यय 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है) पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है।

9. समायोजित कुल आवर्त का वही अर्थ होगा, जो नियम 89(4)(ङ) में परिभाषित है।

10. विवरण-1क के प्रयोजन के लिए, प्रतिदाय दावा, जीएसटीआर-1 में, यदि कोई हो, जीएसटीआर-1क द्वारा यथासंशोधित, रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा।

11. जहां सेवाओं के निर्यात के विरुद्ध प्रतिदाय का दावा किया गया है, वहां बीआरसी या एफआईआरसी के ब्यौरे आज्ञापक होंगे, जबकि माल के निर्यात की दशा में पोत परिवहन बिल और ईजीएम के ब्यौरे उपलब्ध कराना आज्ञापक होगा।

12. जहां बीजक के ब्यौरे (निर्यात सहित) संशोधित किए जाते हैं, वहां प्रतिदाय संशोधित मूल्य पर आधारित गणना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

13. कर के संदाय के बिना किए गए निर्यात के ब्यौरे विवरण-3 में रिपोर्ट किए जाएंगे।

14. कर के संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों की दशा में दावा किए जाने वाले प्रतिदाय की उपलब्धता की गणना नियम 89(4) में विहित सूत्र के अनुसार की जाएगी।

15. माल और सेवाओं की शून्य दर पूर्ति के आवर्त का वही अर्थ होगा, जो नियम 89(4) में परिभाषित है।

उपाबंध

क्रम सं.	प्रतिदाय का प्रकार	विवरण/घोषणा/वचनबंध/ प्रमाणपत्र/ समर्थक दस्तावेज
1.	सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय सहित	a. विवरण 2 (जावक पूर्तियों का विवरण) : प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। ख. घोषणा ङ (अभियोजन न किए जाने की घोषणा) और वचनबंध ख।
2.	माल/ सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय के बिना (संचित आईटीसी)	a. विवरण 3 (जावक पूर्तियों का विवरण) : प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। b. विवरण 3क (प्रतिदाय रकम की गणना) : • स्तंभ 1, प्ररूप जीएसटीआर 1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। • स्तंभ 2, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ग में यथा रिपोर्ट किए गए उपलब्ध शुद्ध आईटीसी के मूल्य से अधिक नहीं होगा। • स्तंभ 3, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। c. उपाबंध 3 (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है।

		d. घोषणा क (इनपुट कर प्रत्यय की पात्रता के संबंध में घोषणा) और वचनबंध क और ख। अन्य समर्थक दस्तावेज : गैर-ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गए माल के निर्यात की दशा में, पोत परिवहन बिल की प्रति।
3.	प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचयन के मद्दे अनुपयोजित आईटीसी का प्रतिदाय	क. विवरण 1क (आवक और जावक पूर्तियों का विवरण) : • उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है। • प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। ख. विवरण 1 (प्रतिदाय रकम की गणना) : स्तंभ 3, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। ग. उपाबंध 3 (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है। घ. घोषणा क (इनपुट कर प्रत्यय की पात्रता के संबंध में घोषणा) और वचनबंध ख।
4.	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/ विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के संबंध में (कर के संदाय के बिना)	क. विवरण 5 (जावक पूर्तियों का विवरण) : प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। ख. विवरण 5क (प्रतिदाय रकम की गणना) : • स्तंभ 1, प्ररूप जीएसटीआर 1 की सारणी 6ख में यथा रिपोर्ट किए गए अनुसार भरा जाएगा। • स्तंभ 2, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ग में यथा रिपोर्ट किए गए उपलब्ध शुद्ध आईटीसी के मूल्य से अधिक नहीं होगा। • स्तंभ 3, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 में यथा रिपोर्ट किए गए अनुसार भरा जाएगा। ग. उपाबंध 3 (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है। घ. घोषणा क (इनपुट कर प्रत्यय की पात्रता के संबंध में घोषणा), घोषणा ख (विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता से कर के संग्रहण के संबंध में घोषणा) और वचनबंध क। ङ. संदाय का सबूत (सेवाओं की पूर्ति की दशा में)

5.	विशेष आर्थिक जोन इकाइयों/ विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियों के संबंध में (कर के संदाय सहित)	क. विवरण 4 (जावक पूर्तियों का विवरण) : प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। ख. घोषणा ख (विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता से कर के संग्रहण के संबंध में घोषणा), घोषणा ङ (अभियोजन न किए जाने की घोषणा) और वचनबंध ख। ग. संदाय का सबूत (सेवाओं की पूर्ति की दशा में)
6.	प्रत्यावर्तित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी, जहां संचित आईटीसी में रियायती दर अधिसूचनाओं के संबंध में की गई पूर्ति अंतर्वलित है [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]	क. विवरण 1ख (जावक पूर्तियों का विवरण) : क. प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4 में रिपोर्ट की गई रियायती दर पर पूर्तियों पर आधारित होगा। ख. उक्त जावक पूर्तियों की बाबत प्राप्तिकर्ता द्वारा फाइल किए गए पोत परिवहन बिल/निर्यात बिल और ईजीएम के ब्यौरे भरे जाएंगे। ख. विवरण 1 (प्रतिदाय की गणना) : स्तंभ 3, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। ग. उपाबंध 3 (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है। घ. घोषणा क (इनपुट कर प्रत्यय की पात्रता के संबंध में घोषणा) और वचनबंध ख।
7.	कर के संदाय के बिना विद्युत का निर्यात (संचित आईटीसी)	क. विवरण 3 (जावक पूर्तियों का विवरण) : प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। ख. विवरण 3क (प्रतिदाय रकम की गणना) : • स्तंभ 1, प्ररूप जीएसटीआर 1 की सारणी 6क में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। • स्तंभ 2, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ग में यथा रिपोर्ट किए गए उपलब्ध शुद्ध आईटीसी के मूल्य से अधिक नहीं होगा। • स्तंभ 3, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1 में रिपोर्ट की गई पूर्तियों पर आधारित होगा। ग. विवरण 3ख (विद्युत के निर्यात के लिए बीजकों का विवरण) घ. उपाबंध 3 (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है। ङ. वचनबंध क और वचनबंध ख

		च. उत्पादन संयंत्रों द्वारा निर्यात की गई विद्युत के लिए अनुसूचित ऊर्जा का विवरण (उपाबंध 4 के रूप में संलग्न रूपविधान में)।
8.	समझे गए निर्यात की पूर्तियों पर संदत्त कर का प्रदायकर्ता को प्रतिदाय	क. विवरण 5ख (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है। ख. घोषणा ग (प्रदायकर्ता द्वारा समझे गए निर्यात की बाबत घोषणा) और वचनबंध ख। ग. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2)। घ. अधिसूचना सं. 49/2017-केंद्रीय कर, तारीख 18.10.2017 के अधीन अपेक्षित दस्तावेज।
9.	समझे गए निर्यात की पूर्तियों पर संदत्त कर का प्राप्तिकर्ता को प्रतिदाय	क. विवरण 5ख (आवक पूर्तियों का विवरण) : उन बीजकों के ब्यौरों पर आधारित होगा, जिनके आधार पर उस सुसंगत अवधि के दौरान, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है। ख. घोषणा ग (प्राप्तिकर्ता द्वारा समझे गए निर्यात की बाबत घोषणा) और वचनबंध ख। ग. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2)। घ. परिपत्र सं. 14/14/2017-जीएसटी, तारीख 06.11.2017 के अधीन अपेक्षित दस्तावेज।
10.	किसी राज्यांतरिक पूर्ति पर, जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतरराज्यिक पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है और विलोमतः, संदत्त कर का प्रतिदाय	क. विवरण 6 (पहले और पश्चात्वर्ती रूप से राज्यांतरिक/अंतरराज्यिक माने गए संव्यवहारों के ब्यौरों का विवरण) ख. वचनबंध ख
11.	कर के अधिक संदाय का प्रतिदाय	क. विवरण 7 (उन बीजकों का विवरण, जहां कर का अधिक संदाय किया गया है) ख. वचनबंध ख

		ग. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2) घ. परिपत्र सं. 14/14/2017-जीएसटी, तारीख 06.11.2017 के अधीन अपेक्षित दस्तावेज
12.	निर्धारण/निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के संबंध में प्रतिदाय	क. वचनबंध ख ख. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2) ग. आदेश की निर्देश संख्या ग i. निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश की प्रति ग ii. पूर्व में किए गए पूर्व-निक्षेप के, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, संदाय की निर्देश संख्या/सबूत
13.	किसी अन्य आधार या कारण के संबंध में प्रतिदाय	क. वचनबंध ख ख. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2) ग. दावे के समर्थन में दस्तावेज
14.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रतिदाय	क. विवरण 8 (उन बीजकों का विवरण, जिनकी बाबत प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है) ख. वचनबंध ख ग. घोषणा घ (कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर अंतरित किए जाने के संबंध में घोषणा), यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र के ब्यौरे, यदि दावा की गई रकम दो लाख रुपए से अधिक है (उपाबंध 2) घ. नियम 89(2)(टख) के अनुसार प्रदायकर्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

15.	निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में ऊर्ध्वमुखी संशोधन के संबंध में संदत्त अतिरिक्त एकीकृत कर (आईजीएसटी) का प्रतिदाय	क. विवरण 9क (निर्यात बीजकों का विवरण) ख. विवरण 9ख (माल के निर्यात के लिए जारी नामे/जमा पत्रों/अनुपूरक बीजक के ब्यौरे) ग. पोत परिवहन बिल या निर्यात बिल की प्रति ; घ. मूल बीजकों की प्रति ; ङ. संविदा/ अन्य दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्रति, यथालागू, जो निर्यात के पश्चात् ऐसे माल की कीमत में संशोधन की अपेक्षा उपदर्शित करते हों ; च. मूल बीजकों के साथ-साथ सुसंगत नामे पत्र (पत्रों)/ अनुपूरक बीजकों की प्रति ; छ. अतिरिक्त आईजीएसटी और लागू ब्याज के संदाय का सबूत और आवेदक द्वारा दिए गए सुसंगत प्ररूप जीएसटीआर-1/ प्ररूप जीएसटीआर-3ख के ब्यौरे, जिनमें उक्त नामे पत्र (पत्रों)/ अनुपूरक बीजक (बीजकों) को घोषित किया गया था और उन पर कर और ब्याज का संदाय आवेदक द्वारा किया गया था ; ज. प्राधिकृत व्यौहारी-I बैंकों द्वारा जारी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के प्रेषण की प्राप्ति का सबूत (एफआईआरसी) ; झ. किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार का प्रमाणपत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उक्त अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रेषण, निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में ऐसे ऊर्ध्वमुखी संशोधन के संबंध में है।

59. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 में, "प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, "[नियम 92(2) और 96(6) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 92(2) देखें]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

60. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 01

[नियम 100(2) और 142(1)(क) देखें]

निर्देश सं. तारीख :

सेवा में,

..जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी

.....नाम

.....पता

कार्यवाही, जिसके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है <उपाबंध क के अनुसार ड्राप डाउन में से चयन करें>_____निर्देश सं.

कर अवधि (अवधियां)_____ वितीय वर्ष अधिनियम

क्या डीआरसी-01क जारी किया गया_(हां/नहीं)_

(यदि हां, तो डीआरसी-01क निर्देश सं.)_____

धारा / उपधारा, जिसके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की जा रही है _____

कारण बताओ सूचना निर्देश सं._____ तारीख :

कारण बताओ सूचना का सारांश

क. मामले के संक्षिप्त तथ्य :

ख. आधार <उपाबंध ख के अनुसार ड्राप डाउन में से चयन करें>__<<पाठ>>_____:

ग. कर और अन्य शोध्य :

(रकम रु. में)

क्रम सं.	**कर की दर**	**आवर्त**	**कर अवधि**	**अधिनियम**	**पूर्ति का स्थान**	**कर**	**ब्याज**	**शास्ति**	**फीस**	**अन्य**	**योग**

			से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												

.....

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

अधिकारिता.....

पता.....

टिप्पण -

1. केवल लागू क्षेत्र भरे जाएं।

2. उपर्युक्त सारणी के स्तंभ सं. 2, 3, 4 और 5, अर्थात् कर की दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं हैं।

3. पूर्ति के स्थान के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे जब मांग एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन सृजित की गई हो।

उपाबंध क [कार्यवाही, जिसके अधीन डीआरसी-01 जारी किया गया है]

क्रम सं.	उन कार्यवाहियों की सूची, जिनके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है	निर्देश सं. (यदि इस कारण बताओ सूचना के संबंध में पूर्व कार्यवाही में कोई सूचना/नोटिस/रिपोर्ट/आदेश जारी किया गया है)
1.	नियम 88घ के अधीन विवरणियों का असुमेल	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग

2.	निर्धारण	प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-18
3.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण	प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14
4.	संवीक्षा	प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-10
5.	संपरीक्षा	प्ररूप जीएसटी एडीटी-02/ प्ररूप जीएसटी एडीटी-04
6.	गलत प्रतिदाय	प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06
7.	अन्वेषण	प्ररूप जीएसटी आईएनएस-02/ प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03
8.	अभिवहन में माल और वाहन का निरोध, अभिग्रहण और निर्मोचन	प्ररूप जीएसटी एमओवी-07

उपाबंध ख [मुख्य प्ररूप की कारण बताओ सूचना के सारांश का आधार]

क्रम सं.	**आधार**
1.	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण
2.	रियायती अधिसूचना के फायदे का गलत लाभ उठाना
3.	प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर दायित्व
4.	संविरचना उद्ग्रहण से संबंधित
5.	माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य
6.	पूर्ति की प्रकृति (राज्यांतरिक/अंतरराज्यिक)
7.	पूर्ति का समय

8.	स्वतंत्र ब्याज का असंदाय/ कम संदाय
9.	विलंब फीस का असंदाय/ कम संदाय
10.	अघोषित पूर्ति (गुप्त रूप से हटाया जाना)
11.	इनपुट कर प्रत्यय से संबंधित
12.	गलत रूप से दावा किए गए प्रतिदाय का प्रवर्ग
13.	स्रोत पर कर कटौती, जो काटी या जमा नहीं की गई
14.	स्रोत पर कर संग्रहण, जो काटा या जमा नहीं किया गया
15.	कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण
16.	संगृहीत किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर
17.	विवरणी का असुमेल
18.	शास्ति
19.	ई-वे बिल से संबंधित विवाधक
20.	संक्रमणकालीन उपबंध
21.	इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में रकम के उपयोग पर निर्बंधन
22.	शून्य दर फायदे का गलत दावा"।

61. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क में, -

(i) भाग-क में, "पता....." शब्दों के पश्चात् और "विषय : मामला कार्यवाही निर्देश सं.....धारा 73(5)/धारा 74(5)/74क(8)/74क(9) के अधीन दायित्व की सूचना" शब्दों, अंकों और अक्षरों से पूर्व, निम्नलिखित शब्दों और अक्षरों वाला एक पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"कार्यवाही, जिसके अधीन दायित्व जारी किया गया है <उपाबंध क के अनुसार ड्राप डाउन में से चयन करें>_____ निर्देश सं.

आधार <उपाबंध ख के अनुसार ड्राप डाउन में से चयन करें>:_____";

(ii) भाग ग में "अटैचमेंट अपलोड करें" शब्दों वाले बॉक्स के पश्चात्, नए पैरा में, निम्नलिखित शब्द, अंक, अक्षर, सारणियां और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"उपाबंध क [कार्यवाही, जिसके अधीन डीआरसी-01क जारी किया गया है]

क्रम सं.	**उन कार्यवाहियों की सूची, जिनके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है**	**निर्देश सं. (यदि इस कारण बताओ सूचना के संबंध में पूर्व कार्यवाही में कोई सूचना/नोटिस/रिपोर्ट/आदेश जारी किया गया है)**
1.	नियम 88घ के अधीन विवरणियों का असुमेल	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग
2.	संवीक्षा	प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-10
3.	संपरीक्षा	प्ररूप जीएसटी एडीटी-02/ प्ररूप जीएसटी एडीटी-04
4.	गलत प्रतिदाय	प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06
5.	अन्वेषण	प्ररूप जीएसटी आईएनएस-02/ प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03

उपाबंध ख [मुख्य प्ररूप के डीआरसी-01क जारी किए जाने का आधार]

क्रम सं.	**आधार**
1.	किसी माल या सेवाओं या दोनों का गलत वर्गीकरण
2.	रियायती अधिसूचना के फायदे का गलत लाभ उठाना
3.	प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर दायित्व
4.	संविरचना उद्ग्रहण से संबंधित
5.	माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य
6.	पूर्ति की प्रकृति (राज्यांतरिक/अंतरराज्यिक)
7.	पूर्ति का समय

8.	स्वतंत्र ब्याज का असंदाय/ कम संदाय
9.	विलंब फीस का असंदाय/ कम संदाय
10.	अघोषित पूर्ति (गुप्त रूप से हटाया जाना)
11.	इनपुट कर प्रत्यय से संबंधित
12.	गलत रूप से दावा किए गए प्रतिदाय का प्रवर्ग
13.	स्रोत पर कर कटौती, जो काटी या जमा नहीं की गई
14.	स्रोत पर कर संग्रहण, जो काटा या जमा नहीं किया गया
15.	कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण
16.	संगृहीत किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर
17.	विवरणी का असुमेल
18.	शास्ति
19.	ई-वे बिल से संबंधित विवाधक
20.	संक्रमणकालीन उपबंध
21.	इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में रकम के उपयोग पर निर्बंधन
22.	शून्य दर फायदे का गलत दावा";

62. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में, क्रम संख्यांक 1 से 5 को क्रम संख्यांक 2 से 6 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम संख्यांक 2 से पूर्व, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

"1. कारण बताओ सूचना के ब्यौरे :

क. कारण बताओ सूचना सं.....

ख. कारण बताओ सूचना की तारीख...."।

63. मूल नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में, -

(i) "[नियम 159(1) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[नियम 159(1), 159(5) देखें]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "निर्देश सं." शब्दों से पूर्व, "भाग क" शब्द और अक्षर वाला एक नया पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iii) "प्रति (व्यक्ति को)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्दों, अक्षरों, अंकों और कोष्ठकों वाला एक नया पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"भाग ख

तारीख :.....

निर्देश सं. :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22क में आक्षेप फाइल करने के लिए आवेदन का एआरएन सं. :

सेवा में,

जीएसटीआईएन (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में) :

स्थायी लेखा संख्यांक और/ या आधार सं./अस्थायी आईडी (अन्य की दशा में) :

पता

अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति/बैंक खाते के प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्तुत आवेदन की नामंजूरी के लिए आदेश

यह, धारा 83 के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की के विरुद्ध आपके आक्षेप अनुरोध के समर्थन में ब्यौरे/सूचना और दस्तावेज देते हुए, निर्देश सं.....तारीख.....सहित प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22क के अधीन आपके आवेदन के संदर्भ में है।

<< पाठ बॉक्स**>>***

<...अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज...**>>**

2. ऊपर निर्दिष्ट आवेदन द्वारा आपके द्वारा दिया गया आक्षेप निम्नलिखित कारणों से ठीक क्रम में नहीं पाया गया है :

<<पाठ बॉक्स.....**>>***

<<...अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज...**>>**

अतः, अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति/बैंक खाते के प्रत्यावर्तन के लिए आपके द्वारा फाइल किया गया आवेदन एतद्द्वारा नामंजूर किया जाता है।

[कर अधिकारी का नाम]

[पदनाम].....

[कार्यालय का नाम]

[संपर्क सूचना]".

64. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-25 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 26

[नियम 86क(1) और 86क(2) देखें]

तारीख -

निर्देश सं. -

सेवा में,

जीएसटीआईएन -

नाम -

पता -

नियम 86क के उपनियम (1) के अधीन इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से नामे डालने को निर्बंधित करने के लिए आदेश

जबकि अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध सूचना/कार्यवाहियों से यह प्रतीत होता है कि आपके इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में रुपए की रकम का इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित कारणों से कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है या अपात्र है : -

<<पाठ बॉक्स.....**>>***

अतः, अब, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 86क के उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से ऐसे प्रत्यय के समतुल्य रुपए की रकम के इनपुट कर प्रत्यय को नामे डालना एतद्द्वारा निर्बंधित किया जाता है।

यह आदेश निम्नलिखित में से पूर्वतर तक प्रवृत्त रहेगा : -

क. इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि का अवसान ; या

ख. वह तारीख, जिसको अधोहस्ताक्षरी, इस बात से समाधान हो जाने पर कि इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डालने की अनुज्ञा न देने की शर्तें अब विद्यमान नहीं हैं, किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा ऐसे नामे डालने की अनुज्ञा देता है।

आप, नियम 86क के अधीन यथाविहित, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 में इस आदेश के विरुद्ध अपना आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल कर सकेंगे।

हस्ताक्षर

[समुचित अधिकारी का नाम]

[पदनाम]

[अधिकारिता]

स्थान :

तारीख :

65. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 27

[नियम 86क(3) देखें]

निर्देश सं..... तारीख.....

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26 में आदेश का एआरएन

सेवा में,

समुचित अधिकारी,

.....(अधिकारिता)

इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से नामे डालने को निर्बंधित करने वाले आदेश के विरुद्ध आक्षेप फाइल करने के लिए आवेदन

जबकि, एआरएन सं..... द्वारा, नियम 86क के उपनियम (1) के अधीन मेरे/हमारे इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से रुपए की राशि को नामे डालने को निर्बंधित करने के लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी 26 में आदेश जारी किया गया है।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 86क के उपबंधों के अनुसार, मैं/हम एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मेरे/हमारे आक्षेप प्रस्तुत करता हूं/करते हैं :

<<पाठ बॉक्स.....**>>***

<<...अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, यदि कोई हों...**>>**

सत्यापन

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

नाम -

जीएसटीआईएन -

पता -

स्थान -

तारीख -

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

66. मूल नियमों में, 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 28

[नियम 86क(4) देखें]

निर्देश सं. - तारीख.....

सेवा में,

जीएसटीआईएन -

नाम -

पता -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 में फाइल किए गए आक्षेप का एआरएन -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी 26 का एआरएन -

इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से नामे डालने के निर्बंधन के विरुद्ध फाइल किए गए आवेदन की बाबत आदेश

यह, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26, निर्देश सं..... तारीख के अधीन इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से नामे डालने के निर्बंधन के आदेश के विरुद्ध फाइल किए गए आपके आवेदन के समर्थन में ब्यौरे/सूचना और दस्तावेज देते हुए, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27, निर्देश सं..... तारीख के अधीन आपके आवेदन के संदर्भ में है।

2. आपके द्वारा फाइल किए गए आक्षेप पर विचार करने और आपको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निम्नानुसार आदेश दिया जाता है : -

भाग क

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 के अधीन आपके द्वारा दिया गया आक्षेप आवेदन एतद्द्वारा अनुज्ञात किया जाता है और इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में नामे डालना से एतद्द्वारा प्रत्यावर्तित किया जाता है

अथवा ;

भाग ख

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 के अधीन आपके द्वारा दिया गया आक्षेप आवेदन निम्नलिखित कारणों से ठीक क्रम में नहीं पाया गया है :

<<पाठ बॉक्स.....**>>***

अतः, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-27 के अधीन आपके द्वारा फाइल किया गया आवेदन एतद्द्वारा नामंजूर किया जाता है और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-26, निर्देश सं..... तारीख में आदेश द्वारा अधिरोपित निर्बंधन जारी रहेगा : -

हस्ताक्षर

[नाम]

[पदनाम]

प्रति-।"

67. मूल नियमों में, 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटी आईएनवी-01 में, -

(i) शीर्ष में, "स्कीमा (संस्करण 1.1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "स्कीमा (संस्करण 1.2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्यांक 1.0 वाली पंक्ति में, "क्षेत्र का नमूना मूल्य" विवरण वाले स्तंभ के अधीन प्रविष्टि में, "1.1" अंक के स्थान पर, "1.2" अंक रखा जाएगा ;

(iii) क्रम संख्यांक 1.2 वाली पंक्ति में, -

(अ) "क्षेत्र का नमूना मूल्य" विवरण वाले स्तंभ के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"B2B / B2C / SEZWP / SEZWOP / EXPWP / EXPWOP / DEXP / SEZWPA / SEZWPNA / RCMDOM / RCMIMP;

(आ) "व्याख्यात्मक टिप्पण" विवरण वाले स्तंभ के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"यह पूर्ति के प्रकार की पहचान करने के लिए कोड होगा।

B2B : कारबार से कारबार

B2C : कारबार से उपभोक्ता

SEZWP : संदाय सहित विशेष आर्थिक जोन को

SEZWOP : संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोन को

EXPWP : संदाय सहित निर्यात

EXPWOP : संदाय के बिना निर्यात

DEXP : समझा गया निर्यात

SEZWPA : प्राधिकृत संचालन के लिए संदाय सहित विशेष आर्थिक जोन को

SEZWPNA : अप्राधिकृत संचालन के लिए संदाय सहित विशेष आर्थिक जोन को

RCMDOM : प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अधीन अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से घरेलू पूर्ति

RCMIMP : सेवाओं का आयात"।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/1/2026-जीएसटी]

(कृति पाण्डेय)
अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 18/2025-केंद्रीय कर, तारीख 31 अक्तूबर, 2025, सा.का.नि. 805(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2025 द्वारा किया गया था।